नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश– 173208 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024
भाग–एक

1. **प्रारम्भिक**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न पदाधिकारी प्रधान व सचिव के पद पर कार्यरत रहेः–

(i) प्रधान

क्र0सं0	नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री हेमेन्द्र गुप्ता	01.04.2023 से 06.12.2023
2	श्री अनुज गुप्ता	01.01.2024 से 31.03.2024

(ii) सचिव एवं आहरण संवितरण अधिकारी

1	श्री अजय गर्ग	01.04.2023 से 23.11.2023
2	श्री अभिनव शर्मा	24.11.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं.	राशि (र लाखों में)
1	विभिन्न स्त्रोतों के अन्तर्गत आय की वसूली न करना	5, 6, 7	29.93
2	विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान राशि का निर्धारित समयावधि में उपयोग न करने के कारण शेष	**11.1**	**163.73**
4	छठे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि को उस प्रयोजन पर व्यय न करना जिस हेतु यह राशि जारी की गई थी	**12**	**61.99**
5	गृहकर की समयबद्ध वसूली न करने के कारण वसूली योग्य शेष राशि	**16.1**	24.37

6	दुकानों के किराये की वसूली योग्य शेष राशि	**17.1**	**1-32**
7	सफाई शुल्क की वसूली योग्य शेष राशि	**19**	**4 .24**
8	यात्रा बिलो में श्री अजय गर्ग, सचिव, नगर पंचायत व श्री रामकरण, कनिष्ठ सहायक को नियमों के प्रतिकूल अनियमित भुगतान	**26**	**0.66**
9	संविदाकार से सफाई सम्बन्धी सेवाओं के भुगतान पर स्त्रोत पर काटे गए आयकर को आयकर विभाग में जमा न करवाना	**32**	**0.70**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि सचिव से अंकेक्षण आरम्भ करने से पूर्व ही अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024-2529 दिनांकः 3/05/2024 द्वारा लम्बित पैरो की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु अनुरोध भी किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण में बार–बार अनुरोध करने पर 04/1967 से लेकर 31/03/2023 तक के कुल 320 अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों में से 56 पर अपेक्षित अनुपालना करके अंकेक्षण दल के पास सत्यापन करवाया गया। इनके साथ–साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। इस अंकेक्षण में निर्णीत किये गये गत प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों पर की गई अनुपालना तथा शेष बचे अनिर्णीत अनुच्छेदों पर अपेक्षित कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत अर्की के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 का अंकेक्षण श्री अमर दत्त, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 01.05.2024 से 25.05.2024 तक नगर पंचायत कार्यालय में सम्पन्न किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 05/2023 तथा व्यय के लिए माह 04/2023 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के लिये आगामी अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त भी अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

अस्वीकरण (Disclaimer): "यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर

किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।"

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के अंकेक्षण का शुल्क संस्थापना व्यय के आधार पर ₹15,000/- आंका गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/शिमला/2024-25/–44 दिनांकः 21/05/2024 द्वारा सचिव, नगर पंचायत अर्की से अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने का आग्रह किया गया था। जिसकी अनुपालना में सचिव, नगर पंचायत अर्की द्वारा पत्र संख्या एनपीए/2024-502 द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹15,000/- पंजाब नैशनल बैंक अर्की के बैंक ड्राफ्ट संख्या 257063 दिनांक 21/05/2024 द्वारा प्रेषित कर दी गई है ।

4.1 दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करनाः–

निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)-15-49/2003-III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III/9337-9385 दिनांक 07.09.2009 एवं UD-H(C)-15-49/2003-IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गये थे कि लेखा खातों का अनुरक्षण दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) के आधार पर किया जाये। परन्तु नगर पंचायत अर्की के वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि इन निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करते हुये इनका अनुरक्षण एकल लेखा पद्धति (Single Entry System) के आधार पर ही किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक शहरी विकास विभाग के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर लेखों का अनुरक्षण दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) से करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 वित्तीय विवरणियाँ

नगर परिषद् अधिनियम–1994 के अन्तर्गत तथा नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण में निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याःसहा• नियन्त्रक/शिमला/2024–25/–3 दिनांकः 01/05/2024 द्वारा अनुरोध करने पर प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई वित्तीय विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रम	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	बैलेन्स शीट (Balance Sheet)	प्रस्तुत की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत की गई
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	प्रस्तुत की गई
5	लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत नहीं की गई
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator))	प्रस्तुत नहीं की गई

4.3 तुलन–पत्र

नगर पंचायत के तुलन पत्र पर अंकेक्षण टिप्पणियाँः–

निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0 के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25.03.2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2009 व 19.07.2010 व पन्द्रहवाँ वित्तायोग के प्रावधानों की अनुपालना में नगर पंचायत द्वारा अपने वर्ष 2023–24 के लेखों का तुलन पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। तुलन पत्र के अवलोकन पर निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ वाँछित हैं:–

(1) नगर पंचायत की चल व अचल सम्पत्तियों तथा लेनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शानाः–
तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें मात्र एक ही सम्पत्ति (निवेश ₹1,21,00,000 /-) दर्शाई गई हैं। जबकि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2024 को नगर पंचायत के पास निम्नलिखित चल व अचल सम्पत्तियाँ उपलब्ध थीं जिन्हें इस तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया हैः–

(2) नगर पंचायत के पास अपना दो मंजिला कार्यालय भवन, रैन बसेरा, टाउन हॉल, सामुदायिक भवन, 52 दुकानें, 10 सार्वजनिक शौचालय, 5 वर्षा शलिका, गौसदन, उर्दू साहित्य पुस्तकालय आदि अनेक अचल सम्पत्तियाँ थी/हैं। अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत आय व्यय के आंकड़ों के अनुसार इनसे इस

वित्तीय वर्ष में ₹8,01,468/-की राशि किराये के रूप में वसूल की गई है। परन्तु इन सम्पत्तियों को तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है जबकि लेखा सिद्धान्तों अनुसार समस्त चल/अचल सम्पत्तियाँ तुलन–पत्र में दर्शाई जानी आपेक्षित है।

(3) नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत लेनदारियों की सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2024 को नगर पंचायत द्वारा ₹55,25,286/– की लेनदारियाँ तो मात्र गृहकर ₹24,37,385/–, संपत्ति कर ₹1,59,000/-, दुकान किराया ₹1,31,972/-, मोबाईल टॉवर शुल्क ₹37,500/-, सफाई शुल्क ₹4,24,223/–, मुख्यमन्त्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना की प्रतिपूर्ती ₹3,15,325/- तथा एकल प्रयोग प्लास्टिक खरीद प्रतिपूर्ती ₹20,19,881/-से ही वसूल की जानी शेष थीं। जब की इन लेनदारियों को तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया था । इसके अतिरिक्त नगर पंचायत को देय अन्य लेनदारियों की भी पुष्टि की जाए एवं तदानुसार तुलनपत्र में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए !

(4) **पंचायत देनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शाना :–** तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें देनदारियाँ शून्य दर्शाई गई हैं जबकि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2024 को नगर पंचायत द्वारा ₹2,73,445/– की देनदारियाँ जैसे की वस्तु व सेवा कर ₹1,57,583/-, रॉयल्टी ₹4,908/- तथा श्रम उपकर ₹5,942/–,दुकानदारों से ली गई प्रतिभूति राशि ₹30,000/- तथा स्त्रोत पर काटे गए आयकर की राशि ₹75,012/- भुगतान करने को शेष थीं। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा देय अन्य देनदारियों की भी पुष्टि की जाए एवं तदानुसार तुलनपत्र में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए !

(5) **अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन न करना/करवाना:–** दोहरी लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार नगर परिषद् द्वारा वार्षिक तुलन पत्र तैयार करने से पहले अपनी समस्त अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन करके उन्हें इसके सम्पत्ति पक्ष में दर्शाया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

अतः नगर पंचायत अर्की द्वारा चल व अचल सम्पत्तियाँ, लेनदारियाँ, देनदारियाँ, निर्माण, निक्षेप कार्य के अग्रिम तथा अन्य अग्रिम आदि तुलन पत्र (Balance Sheet) में नहीं दर्शाए गए हैं, जोकि लेखा सिद्धान्तों की अवहेलना है तथा ऐसे में नगर पंचायत अर्की का तुलन–पत्र सम्पत्ति एवं देयताओं (Assets and Liablities) की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। नगर पंचायत की समस्त सम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन–पत्र में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 वित्तीय स्थिति

(5.1.1) मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा•नियन्त्रक/–शिमला/2023–24/–378 दिनांकः 14/03/2024 व अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024–25/–2 दिनांकः 1/05/2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "2"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः–

वित्त वर्ष 2023–24

शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
स्वःस्त्रोत	12956694.97	4520746.30	944531.00	18421972.27	7299306.20	11122666.07
अनुदान	16046034.44	16193635.00	0.00	32239669.44	15866359.38	16373310.06
पैन्शन	626985.00	0.00	16702.00	643687.00	0.00	643687.00
कुल	29629714.41	20714381.30	961233.00	51305328.71	23165665.58	28139663.13

(5.1.2) दिनांक 31.03.2024 को नगर पंचायत के पास, बैंक निवेश व बचत खातों में उपलब्ध निधि का विवरण

विवरण	कुल राशि (₹)
नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 को सावधि जमा में निवेशित राशि (विवरण **परिशिष्ट "3"** में उपलब्ध):–	**1,21,00,000.00**

नगर पंचायत के विभिन्न बैंक बचत खातों में दिनांक 31.03. 2024 को जमा राशि का विवरण निम्नानुसार (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "4"** में उपलब्ध):–

		राशि (₹)
1	पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100012763	4957913.34
2	पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100046487	3361091.35
3	पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100042551	5909.00
4	पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100045752	2020.00

5	पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100046353	5479978.00
6	पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100046362	90749.00
7	पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100049457	494915.00
8	आई सी आई सी आई बैंक दाड़लाघाट 367201000548	46883.00
9	जोगिन्द्रा के0सह0 बैंक अर्की 100134001003752	614338.00
10	जोगिन्द्रा के0सह0 बैंक अर्की 100134001004625	57666.00
11	यूको बैंक अर्की 03920100009843	27469.77
12	भारतीय स्टेट बैंक अर्की 55136118262	535888.62
13	एच0डी0एफ0सी0 बैंक कुनिहार 50100228105010	363307.55
14	डाकघर अर्की 239333	1523.50
	बचत खातों के अन्तशेष का कुल योग	**1,60,39,652.13**

सावधि निवेश तथा बचत खातों के शेष के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को कुल जमा राशिः– **2,81,39,652.13**

(5.1.3) बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट "5")

1	**रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष**		28139663.13
2	– **घटावः**– नगर पंचायत द्वारा दिनांक 19/03/2024 को बैंक खाता संख्या 6518000100012763 में ₹899/- की राशि जमा की गई परन्तु बैंक द्वारा ₹889/- की राशि ही नगर पंचायत के खाते में जमा की गई तथा शेष राशि ₹10/- का क्रेडिट दिनांक 02/04/2024 को दिया गया।	&10	
3	– **घटावः**– नगर पंचायत द्वारा 01/04/2024 को रोकड़ बही का प्रारम्भिक शेष त्रुटीवश ₹29629714.41 के स्थान पर ₹29629713.41 लिया गया था !	-1	
4	उपरोक्त घटाव का कुल योग	-11	
5	उपरोक्त घटाव के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष		28139652.13
		अन्तर	**शून्य**

6 सावधि जमा की परिपक्वता अवधि पर स्त्रोत से काटे गए गए आयकर ₹85,271/- बारें :

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 3/09/2022 को पंजाब नेशनल बैंक, अर्की में ₹60,00,000/- की राशि को सावधि जमा में 405 दिनों के लिए 6.10% की ब्याज दर पर निवेश किया गया था तथा बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा पर परिपक्वता तिथि 13/10/2023 को, परिपक्वता राशि ₹64,17,071/- भी अंकित की गई थी अर्थात परिपक्वता तिथि पर नगर पंचायत को ₹4,17,071/- की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होनी वांछित थी परन्तु बैंक द्वारा परिपक्वता तिथि को नगर पंचायत के खाते में ₹64,17,071/- के स्थान पर मात्र ₹63,31,800/- की राशि ही खाता संख्या 6518000100012763 में जमा की गई है तथा शेष राशि के बारे में अवगत करवाया गया की बैंक द्वारा सावधि जमा के ब्याज पर 20% की दर से ₹85,271/- स्त्रोत पर आयकर (TDS) काटा गया है जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 196 में निगमों व सरकारी विभागों द्वारा अर्जित ब्याज व किसी भी अन्य आय को स्त्रोत पर आयकर (TDS) की कटोती से मुक्त (exempted) रखा गया है अतः बैंक द्वारा स्त्रोत पर आयकर (TDS) की कटौती नियमानुसार उचित नहीं है जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 4 दिनांक : 3/05/2024 द्वारा सचिव नगर पंचायत को उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया की इस बारे प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक अर्की को टीडीएस की राशि ₹85,271/- को वापिस नगर पंचायत के खाते में जमा करने का आग्रह किया गया है। अतः इस सन्दर्भ के कृत कार्यवाही अर्थात ₹85,271/- की वसूली सम्बंधित बैंक से करके नगर पंचायत के खाते में जमा करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनावश्यक रूप से 14 बैंक बचत खातों का संचालन करना

नगर पंचायत के विभिन्न बचत खातों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31/03/2024 तक विभिन्न बैंकों व डाकघर में 14 बचत बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था जिसमें से अधिकतर बैंक खातों में कोई भी लेनदेन नहीं किया जा रहा है या नाममात्र ही लेनदेन किया जा रहा है जिस कारण इन खातों का संचालन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 11 दिनांक : 3/05/2024

द्वारा इन खातों के संचालन को न्यायोचित ठहराये जाने या इन खातों को बंद कर इन खातों में पड़ी शेष राशि को नगर पंचायत के अन्य खातों में स्थानांतरित किये जाने तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे कहा गया था । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5.2 के माध्यम से भी नगर पंचायत को इन अनुपयुक्त खातों के संचालन का औचित्य स्पष्ट करने या इन्हें बंद करने बारे परामर्श दिया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही अम्ल में नहीं लाई गई है। उपरोक्त खातों के अवलोकन के दौरान यह भी पाया गया की नगर पंचायत द्वारा डाकघर अर्की में खोले गए खाता संख्या 239333 में 12/2020 से अंत शेष मात्र ₹1523.50 ही दर्शाया जा रहा था तथा उसके उपरान्त कोई भी लेनदेन पास बुक में दर्ज नहीं किया गया था। अतः इस खाते को अपडेट कर इसमें पड़ी शेष राशि को नगर पंचायत के सामान्य खातें में जमा करवाये जाने बारे कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या न. प. अ./2024 -459 दिनांक 14/05/2024 द्वारा सचिव, नगर पंचायत अर्की द्वारा सूचित किया गया कि कुल 14 खातों में से सात खाते निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित है तथा डाकघर का खाता भी बहुत पुराना है जिसमें ₹1523 .50 बकाया है जिसे अब अंकेक्षण विभाग की अनुपालना करते हुए नगर पंचायत के दुसरे खातों में जमा कर दिया जाएगा।

8 पैंशन एवं ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति :—

सचिव, नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:—

(परिशिष्ट "6")

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान प्राप्त बैंक ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/ भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2023—24	626985	16702	643687	29349	614338

पैंशन एवं ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट—6)

विवरण	राशि (₹)
जोगिन्द्रा के0सह0 बैंक अर्की बचत खाता संख्या 100134001003752	614338
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष	614338
अन्तर	शून्य

9 पैंशन एवं ग्रेचुटी खाता संख्या 03752 से ₹29,349/-के बिजली बिलों का अनुचित भुगतान :

नगर पंचायत द्वारा माह 09/2023 में दिनांक 14/09/2023 को नगर पंचायत के बिजली बिलों की ₹29349/- की राशि का भुगतान सम्बंधित खाते से न करके जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ओपरेटिव बैंक में पैंशन एवं ग्रेचुटी से सम्बंधित लेनदेन हेतु खोले गए बैंक खाता संख्या 100134001003752 से किया गया है, जो की पैंशन एवं ग्रेचुटी खाते पर उचित प्रभार नहीं है जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-10 दिनांक : 3/05/2024 द्वारा ₹29349/- की राशि को पैंशन एवं ग्रेचुटी खाते से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करने बारे अन्यथा इस राशि को सम्बंधित खाते से चार्ज कर पैंशन एवं ग्रेचुटी खाते में जमा किये जाने बारे कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या न.प.अ./2024 -461 दिनांक 14/05/2024 द्वारा सूचित किया, की नगर पंचायत द्वारा गलती से ₹29,349/- की राशि के बिजली बिलों का भुगतान पैंशन एवं ग्रेचुटी खाता से किया गया था जिसे दिनांक 7/05/2024 को सम्बंधित खाते से निकालकर जोगिंद्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पैंशन एवं ग्रे ग्रेचुटी खाते में जमा कर दिया गया है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई है।

10 नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार पैंशन तथा ग्रैच्युटी निधि अंशदान का भुगतान प्रावधित दर 12% तथा 5% से अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-1/79-iii दिनांक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए है। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पैंशन के लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पैंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–2 इसका रख–रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगर पालिकाएं कर्मचारियों को समय वेतनमान (Time Scale) के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पैंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवाएगी। परन्तु नगर पंचायत द्वारा 03/2022 से 12% तथा 5% की दर से पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि में भुगतान बंद कर दिया

गया है । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैर संख्या 5.5.3 द्वारा भी इसे न्यायोचित ठहराने बारे आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 20 दिनांक : 15 /05/2024 द्वारा पैन्शन व ग्रैच्युटी निधि में प्रावधिक दर से भुगतान न करने बारे सम्बंधित अधिसूचना या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेशो से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने बारे अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या न. प. अ./2024 -498 दिनांक 21/05/2024 द्वारा इस मामले में सम्बंचित विभाग से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाए जाने का आश्वासन दिया गया है ! अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 अनुदान

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-17 दिनांक : 13/05/2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–7** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत को प्राप्त अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

मुख्य रोकड़ बही में दर्ज अनुदानों की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2023-24	1,60,46,034	1,73,56,956	3,34,02,990	1,70,29,680	1,63,73,310

11.1 अनुदानों की ₹163.73 लाख की राशि उपयोग हेतु शेष :–

गत उप अनुच्छेद 6.1 में वर्णित तालिका के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि दिनांक 31.03.2024 को नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदानों में से ₹1,63,73,310/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी जो परिलक्षित करता है कि पंचायत इन अनुदानों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में विफल रही है तथा इस सन्दर्भ में तुरन्त सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

11.2 दिनांक 1.4.2023 से पूर्व प्राप्त ₹80.95 लाख के अनुदानों का लगभग दो वर्षों व अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता :–

नगर पंचायत परिक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों एवं अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य वित्त संस्थायों द्वारा सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है जिसका निर्धारित समयावधि में उसी प्रयोजन हेतु उपयोग

ANNUAL REPORT

करना, जिस प्रयोजन हेतु अनुदान राशि जारी की गई है, सम्बंधित संस्था का उत्तरदायित्व होता है है परन्तु नगर पंचायत अर्की को अनुदानों से प्राप्त राशि के अवलोकन से पाया गया है कि पंचायत द्वारा विगत लगभग दो-तीन वर्षों के व्यतित होने के उपरांत भी प्राप्त अनुदानों का उपयोग नहीं किया गया है ! दिनांक 31.03.2024 तक इस प्रकार के अव्यतित अनुदानों का विवरण निम्न तालिका में विस्तृत रूप से दिया गया है

क्रम संख्या	योजना	अनुदान प्राप्ति		अनुपयोगी राशि (₹)
		राशि	वर्ष/तिथि	
1	अटल श्रेष्ठ शहर योजना	75,00,000.00	7.09.2022	50,00,000.00
2	व्हीकल पार्किंग	60,00,000.00	29.07.2021	28,27,362.00
3	सांसद निधि (एमपीएलएडी)	25,000.00 3,50,000.00 1,00,000.00	30.06.2022 30.06.2022 10.08.2022	2,68,119.00 (unspent balance as on 1/4/23 less receipt during the year 2022-23 i.e. Rs.7,43,119-4,75,000=2,68,119)
				80,95,481.00

उक्त अनुपयोगी राशि में से ₹28,27,362 की राशि व्हीकल पार्किंग की राशि वित्त वर्ष 2021-2022 में प्राप्त हुई थी जबकि अटल श्रेष्ठ शहर योजना के अंतर्गत ₹50,00,000.00 व सांसद निधि (एमपीएलएडी) के अंतर्गत ₹2,68,119.00 की राशि वित्त वर्ष 2022-2023 में प्राप्त हुई थी तथा अब तक अनुपयोगी एवं लंबित है, जिस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या (6.1.3) के द्वारा भी टिपण्णी की गई थी ! नगर पंचायत की इस विफलता के कारण जहां अनुदान निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं लाभार्थी जनता को प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से भी वंचित होना पड़ा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024.25/–17 दिनांकः 13/05/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2024–504 दिनांक 21.05.2024 द्वारा अवगत करवाया

गया कि यह अनुपयुक्त राशि वर्ष 2024 में खर्च कर दी जाएगी। अतः भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत अपनी कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ करते हुए प्राप्त अनुदानों का निर्धारित उद्देश्य हेतु उचित समय के अन्दर उपयोग करना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थी जनता को योजनाओं का समय पर लाभ प्राप्त हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11.3 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM-SNA) अनुदानों की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2023-24	0	38648	38648	38648	0

रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष:	शून्य
बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष:	शून्य

11.4 स्वच्छ भारत मिशन (SBM-SNA)अनुदानों की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2023-24	0	399673	399673	399673	0

रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष:	शून्य
बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष:	शून्य

11.5 प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY-SNA) अनुदानों की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2023-24	0	725000	725000	725000	0

रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष:	शून्य
बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष:	शून्य

11.6 ₹170.29 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना :

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "7"** के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक कुल ₹1,70,29,680/– का व्यय प्राप्त अनुदानों से दर्शाया गया है जबकि इस अवधि में किसी भी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित नहीं किए गए थे। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित करने के साथ–साथ इनकी सत्यापना भी आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

11.7 अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/शिमला/2024.25/–17 दिनांक: 13/05/2024 द्वारा नगर पंचायत को प्राप्त अनुदानों से सम्बंधित पंजिका को प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: न.प.अ./2024–504 दिनांक 21.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों के लेखांकन से सम्बंधित पंजिका को लगाया गया है लेकिन इसे कुछ समय से अपडेट नहीं किया गया है जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में पूर्ण सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।

12 छठे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि ₹61,99,296/- को उस प्रयोजन पर व्यय न करना जिस हेतु यह राशि जारी की गई थी :-

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल के पत्र संख्या : UD-H (C)(10)-1/2023-SFC Awards-loose-13931-13993 दिनांक 31/07/2023 द्वारा नगर पंचायत अर्की को छठे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत मांग संख्या 28 - सामान्य विकास योजना में ₹46,37,694/- तथा मांग संख्या 32 - अनुसूचित जाति विकास योजना में ₹15,61,602/- अर्थात वित्त वर्ष 2023-2024 हेतु कूल अनुदान राशि ₹61,99,296/- प्रदान की गई जिसे सम्बंधित वित्त संस्था द्वारा आबंटन/स्वीकृती पत्र में दी गई शर्तों व दिशा-निर्देशों के अनुसार ही उपयोग किया जाना वांछित था अर्थात उक्त वर्णित

ANNUAL REPORT

सम्पूर्ण राशि को स्वीकृति पत्र में निर्धारित अनुपात के आधात पर सामान्य विकास योजना व अनुसूचित जाति विकास योजना पर ही व्यय किया जाना वांछित था।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा सम्पूर्ण राशि को न तो किसी सामान्य विकास योजना और न ही अनुसूचित जाति विकास योजना पर व्यय किया गया है बल्कि सम्पूर्ण राशि को नगर पंचायत के स्थापना व्यय अर्थात कर्मचारियों के वेतन, पैंशन व भविष्य निधि पर ही व्यय किया गया है जोकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल द्वारा जारी अनुदान की शर्तों के अनुरूप सही प्रतीत नहीं होता था जिस बारे में अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या: सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-37 दिनांक: 17/05/2024 द्वारा स्तिथि स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया अतः इस मामले में सम्बंधित वित्त प्रदत संस्था से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा सम मूल्य की राशि को नगर पंचायत निधि से व्यय कर सामान्य विकास योजना तथा अनुसूचित विकास योजना पर उपयोग/व्यय कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13 निवेश

13.1 नगर पंचायत निधि से किये गये निवेश का विवरण :–

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा• नियन्त्रक / शिमला / 2024.25 / –2 दिनांक: 1 / 05 / 2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को पंचायत निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित ₹1,21,00,000/– की राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

सावधि जमा में निवेश का विवरण			
क्र0 सं0	**बैंक का नाम**	**सावधि जमा खाता सं0**	**निवेशित राशि (₹)**
1	एच डी एफ सी बैंक, अर्की	50300903853602	40,00,000.00
2	एच डी एफ सी बैंक, अर्की	50300911159597	30,00,000.00
		सावधि जमा में कुल निवेश	₹70,00,000।00
स्वीप अकाउंट में निवेश का विवरण			
1	यूको बैंक अर्की	03920310167328	51,00,000.00
		सावधि जमा एवं स्वीप अकाउंट में कूल निवेश :	₹1,21,00,000।00

(13.2) कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि (स्वयं स्त्रोत) को सावधि जमा योजना में निवेश करने की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण सम्भावित ब्याज आय की हानि :—

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024.25/—2 दिनांकः 1/05/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट-4 में प्रस्तुत विवरणानुसार दिनांक 31.3.2024 को ₹1,37,98,982/—की एक बड़ी राशि नगर पंचायत के मात्र तीन बचत खातों में ही शेष जमा थी जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है !

क्रम संख्या	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	दिनांक 31.03.2024 को बचत खाता शेष (₹)
1	पंजाब नेशनल बैंक अर्की	6518000100012763	49,57,913.34
2	पंजाब नेशनल बैंक अर्की	6518000100046487	33,61,091.35
3	पंजाब नेशनल बैंक अर्की	6518000100046353	54,79,978.00
बैंक बचत खाते में जमा राशि ₹1,37,98,982.69			

नगर पंचायत द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 56 के अंतर्गत प्रावधिक नियमों एवं निर्देशों का पालन न करके नगर पंचायत के बचत खातों में सामयिक आवश्यकता से अधिक राशि को सावधि जमा में निवेश न करके बचत खातों में ही रखा जा रहा है जिससे कि नगर पंचायत को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ रहा है इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024.25/—14 दिनांकः 14/05/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2024—465 दिनांक 14.05.2024 द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया जो की संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है । अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नगर पंचायत की सामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 56 के अंतर्गत प्रावधिक नियमों एवं निर्देशों का पालन करके नगर पंचायत के बचत खातों में सामयिक आवश्यकता से अधिक राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

13.3 ₹51,00,000/- की राशि का दिनांक 31/03/2024 को स्वीप अकाउंट में निवेश किये जाने बारे :

नगर पंचायत के मुख्य बचत खाता (सामान्य खाता) संख्या : 03920100009843 जोकि यूको बैंक,अर्की में खोला गया है, जिसमें दिनांक 31/03/2024 को ₹51,27,469.77 की राशि जमा थी और इसमें से दिनांक 31/03/2024 को ही ₹51,00,000/- की राशि, जोकि कुल जमा राशि का

99.46% है,को स्वीप अकाउंट में निवेश किया गया था जबकि नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 56 के अंतर्गत नगर पंचायत द्वारा अपनी रोजमर्रा एवं नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि रखने के उपरान्त अतिरिक्त राशि को निवेश किये जाने का प्रावधान है तथा नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 53 के अंतर्गत नगर पंचायत कोष में जमा राशि को विभिन्न उद्देश्यों पर उपयोग किये जाने बारे भी विस्तृत विवरण दिया गया है ! अतः नगर पंचायत द्वारा अपनी दैनिक/ नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी स्वीप अकाउंट से निकासी कर भुगतान किया जाना एवं नगर पंचायत के पास उपलब्ध कुल जमा राशि में से 99.46% जमा राशि को स्वीप अकाउंट में निवेश किये जाने अर्थात ₹51,00,000/- की राशि को एकमुश्त ही स्वीप अकाउंट में निवेश करने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट करने, क्योंकि न तो बैंक द्वारा स्वीप अकाउंट पर दिए जाने वाले ब्याज के बारे में कोई लिखित प्रपत्र नगर पंचायत को दिया गया है और न ही बैंक द्वारा जारी दिनांक 31/03/2024 तक के शेष राशि विवरण/प्रमाणपत्र में ब्याज दर के बारे में कोई उल्लेख किया गया है जिसकी अनुपस्तिथि में स्वीप अकाउंट में निवेश करने को न्यायोचित ठहराये जाने तथा नगर पंचायत द्वारा स्वीप अकाउंट में निवेश करने की अपेक्षा विभिन्न बैंकों से एक विशेष अवधी हेतु सावधी जमा पर निवेश से सम्बंधित निविदाएँ आमंत्रित करने के उपरान्त अधिकतम ब्याज राशि पर निवेश के विकल्प का चयन न किये जाने तथा सम्पूर्ण राशि को स्वीप अकाउंट में निवेश किये जाने को नियमानुसार न्यायोचित ठहराये जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-15 दिनांक : 13/05/2024 जारी की गई थी जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या : न.प.अ./2024-515 दिनांक 22/05/2024 के माध्यम से सूचित किया गया की अंकेक्षण की अनुपालना करते हुए इस राशि को स्वीप अकाउंट से निकालकर जमा खाते में जमा करने के उपरांत उसमे से ₹30,00,000/-,की राशि का छः माह की एफडी में निवेश कर दिया गया है !

14 **नगर पंचायत के वर्ष 2023–24 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँः–**

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक / शिमला / 2024. 25 / –8 दिनांकः 3 / 05 / 2024 के सन्दर्भ में निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2023–24 के बजट की उपलब्ध करवाई गई प्रति के अवलोकन पश्चात निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:–

(14.1) वर्ष 2023–24 के बजट में प्रस्तावित तथा वास्तविक आय–व्यय:–

आय(व्यय शीर्ष	वर्ष 2023–24
आय	
स्वः–स्त्रोतों से प्रस्तावित आय	1,13,72,000
स्वः–स्त्रोतों से वास्तविक आय (Income from own sources+ Bank Interest i.e. 4520746+944531=5465277)	54,65,277
अन्तर	**5906723 (51.94% कमी)**
अनुदानों से प्रस्तावित आय	2,37,25,000
अनुदानों से वास्तविक आय (Total income from GIA-grant received under SNA account i.e. 17356956-1163321=16193635)	1,61,93,635
अन्तर	**75,31,365 (31.74% कमी)**
व्यय	
कुल प्रस्तावित व्यय	3,52,93,300
कुल वास्तविक व्यय (Total expenditure from the GIA and from own sources – expenditure made under SNA account i.e. 24299637.58-1163321= 23136316.58 or say 23136317)	2,31,36,317
अन्तर	**1,21,56,983 (34.45% कमी)**

(14.2) अनुमोदन :–

नगर पंचायत का वर्ष 2023–24 के बजट का अनुमोदन निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)(1)-40/87- IV-15754-55 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा किया गया है।

(14.3) बजट प्राक्कलन तीन माह के विलम्ब से अनुमोदित करवानाः–

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) में प्रावधित है कि नगर पंचायत का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की अवधि में सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि

यदि नगर पंचायत सदन उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमती नहीं देता है तो सचिव सदन की सहमती के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रेषित करेगा। वर्ष 2023–24 के बजट की अनुमोदित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधीश सोलन के माध्यम से यह पत्र संख्याः Acctts. (LFA)1-1/03- Part-X-1352 दिनाँक 4. 07.2023 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत किये जाने पर गत उप–अनुच्छेद 8.2 में वर्णित पत्र द्वारा दिनाँक 25.08.2023 को अनुमोदत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन तैयार करने में कितनी उदासीनता, निरूत्साह तथा विलम्ब दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के लगभग पाँच महीने पश्चात बजट अनुमोदित करवाने से यह सारी प्रक्रिया ही निरर्थक हो जाती है।

(14.4) बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलताः–

गत उप–अनुच्छेद (8.1) में दिये वर्ष 2023–24 के प्रस्तावित बजट अनुमानों तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगर पंचायत अपने प्रस्तावित बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने से दूर है। यदि स्वः–स्त्रोतों तथा अनुदानों से आय के बजट अनुमानों व वास्तविक आय की तुलना की जाए तो क्रमशः **5906723 (51.94% कमी)** व **75,31,365 (31.74: कमी)** की कमी पाई गई है। वर्ष 2023–24 के बजट को अनुमोदित करते हुये निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यालय पत्र की शर्त संख्या 6 में आय के संसाधनों को बढ़ाने तथा सम्पूर्ण वसूली सुनिश्चित करने बारे निर्देश दिये गये हैं, परन्तु वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा या तो इनकी अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्न नहीं किये जा रहे अथवा प्रस्तावित लक्ष्य ही अव्यवहारिक निर्धारित किये गये थे। इसी प्रकार यदि अनुमानित व्यय व वास्तविक व्यय की तुलना की जाये तो इसमें भी 34.45% [illegible] कमी या तो अव्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित करने के कारण अथवा नगर पंचायत की अकर्मण्यता व निष्क्रियता के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई है तथा नगरवासियों का भी अपेक्षित सुविधाएँ देने में नगर पंचायत विफल रही है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत अर्की द्वारा बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य को मात्र एक औपचारिकता की तरह लिया गया है तथा इसके महत्व को लेकर किसी प्रकार की गम्भीरता का भाव नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण :–**

नगर पंचायत की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	आय (स्वः स्त्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2020–21	25266296.00	23995746.75
2021–22	31153958.00	23802795.23
2022–23	48359085.59	39444715.05

आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2024 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:–

16 **गृहकर**

(16.1) गृहकर का बकाया ₹24.37 लाख वसूली हेतु शेष :–

नगर पंचायत के वित्त वर्ष 2022-2023 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या (10.1.1) के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के नगरवासियों से दिनांक 31.03.2023 तक ₹40,89,239/- की राशि गृह कर/संपत्ति कर के रूप में वसूली योग्य शेष थी। इसी क्रम को जारी रखते हुए सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024.25/–13 दिनांकः 13/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्याः न.प.अ./2024–466 दिनांक 14.05.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2023-2024 हेतु वर्तमान प्रचलित पद्दति के आधार पर गृहकर की मांग न करके हिमाचल प्रदेश सरकार के वातावरण, विज्ञान एवं तकनिकी विभाग की अधिसूचना संख्या एस.टी.इ.-बी (2)-2/2021 दिनांक 30.07.2022 के अनुसार विकासात्मक क्रियाओं को योजनाबद्द विधि से लागू करने का कार्य आर्यभट्ट जिओ इन्फार्मेटिक्स & स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (AGISAC) को सौंपा गया है जिसके मध्यनजर नगर पंचायत अर्की द्वारा हिमाचल सरकार के निर्देशानुसार नगर पंचायत परीक्षेत्र में प्रॉपर्टी टेक्स/ गृहकर वसूली हेतु ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है जिस कारण वित्त वर्ष 2023- 2024 की मांग जारी नहीं की जा सकी है तथा सम्बन्धित वित्त वर्ष में गृहकर एवं संपत्ति कर के रूप में ₹16,51,854/- की वसूली हुई है तथा ₹24,37,385/- की वसूली की जानी शेष है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -8.1** पर दिया गया है। दिनांक 31/03/2024 को वसूली योग्य

शेष राशि में से मात्र ₹13,64,984/-(8,13,388+5,51,596) की वसूली से सम्बंधित मामलों में ही कानूनी कार्यवाही की जा रही थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-8.2** व **परिशिष्ट- 8.3** पर दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 के प्रावधानों के आधार पर सभी बकाया राशि की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वसूली हेतु बकाया गृहकर का विवरण निम्न तालिका में संकलित हैः–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के लिये माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष में वसूली (₹)	अन्तशेष (₹)
2023- 24	4089239	----	4089239	16,51,854/-	24,37,385/-

(16.2) चार से छः वर्षों तक लम्बित ₹11.69 लाख के गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार कोई ठोस कार्रवाई न करना :–

नगर पंचायत द्वारा नगरवासियों पर सर्वप्रथम गृहकर अधिरोपण वर्ष 2018–19 में किया था। गत उप–अनुच्छेद में वर्णित दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर ₹24,37,385/-के अंकेक्षण में पाया गया कि इस बकाया में, निम्न तालिका अनुसार, **₹11,69,632**/–की बकाया राशि ऐसी है जोकि 18 नगरवासियों द्वारा चार से लेकर छः वर्षों तक लम्बित थी। जबकि इस बकाया राशि में वित्त वर्ष 2023-24 की मांग शामिल नहीं है जिसका अभी ऑनलाइन सर्वे किये जाने के कारण लंबित है जैसा की सचिव नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024.25/–13 दिनांकः 13/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्याः न.प.अ./2024–466 दिनांक 14.05.2024 में सूचित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् अधिनियम 1994 के नियम 86 व 87 तथा निदेशक, शहरी विकास द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों द्वारा करों व शुल्कों की शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इनकी अनुपालना नहीं हुई है। अतः इन दोषियों से गृहकर बकाया की शत प्रतिशत वसूली हेतु नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वार्ड संख्या	मांग व संग्रहण रजि.पृष्ठ संख्या	गृहकरदाता का नाम	वार्षिक गृहकर	दिनांक 31.03.24 को ब्याज सहित बकाया गृहकर राशि (₹)	अवधि जिसके लिये गृहकर का भुगतान नहीं किया गया (वर्ष)
1	1	1/8	श्री धर्मेन्द सिंह	5220	27979	6
2	1	1/10	श्री हरी राम	10923	36642	4
3	1	1/11	श्रीमति सलोचना	2997	16064	6
4	1	1/114	श्री खेम चन्द	2684	9386	6
5	2	2/47	बी.आर.सी.कार्यालय	7128	38207	6
6	2	2/50	श्री सुमेध शर्मा	11129	59651	6
7	2	2/65	श्री नन्द लाल वर्मा	2146	11053	6
8	2	2/106	श्री ललीत कुमार	14965	80212	6
9	2	2/109	उपमण्डलाधिकारी आवास अर्की	3005	16107	6
10	3	3/113	तहसीलदार अर्की	4351	23321	6
11	3	9/98	अधिशाषी अभियन्ता विद्युत विभाग	17242	74830	5
12	3	3/12	एस.डी.पी.ओ. विभाग	26579	142463	6
13	4	4/2	तहसील कार्यालय, तहसीलदार आवास अर्की	33970	182079	6
14	4	4/4	उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की	42354	227017	6
15	6	6/58	श्री महेन्द्र प्रकाश	4869	26098	6
16	6	6/64	श्री रामचन्द	37500	167250	5
17	7	7/86	एस.डी.एम राजस्व कलोनी	2724	14601	6
18	7	7/160	श्री नरोतम राम	5090	16672	4
					कुल योग ₹11,69,632	

(16.3) नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित होटल पैलेस व्यू से ₹1,59,000/- की शेष वसूली :-

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 तथा निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पंचायत क्षेत्र में स्थापित होटलों व गैस्ट हाउसों से व्यावसायिक गतिविधियों के लिये 12.5% की दर से गृहकर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024.25/—16 दिनांकः 13/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्याः न.प.अ./2024—464 दिनांक 14.05.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची "परिशिष्ट-9" के अनुसार होटल पैलेस व्यू से दिनांक 31.03.2024 तक ₹1,59,000/- की राशि की वसूली की जानी शेष थी ! होटल पैलेस व्यू द्वारा गत कई वर्षों से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो की एक बहुत ही गंभीर मामला है, अतः सुझाव दिया जाता है कि होटल पैलेस व्यू से संपत्ति कर की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 86 से 89 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वसूली की जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 दुकानों का किराया

(17.1) दुकानों के बकाया किराये की ₹1.32 लाख की राशि वसूली हेतु शेषः—

सचिव, नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "10"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2024 को दुकानों के बकाया किराये की ₹1,31,972/— की राशि वसूली हेतु शेष थी। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस बकाया राशि की वसूली हेतु किसी प्रकार के ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से वसूल न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। वसूली हेतु बकाया दुकान किराये का विवरण निम्न तालिका में संकलित हैः—

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के लिये माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष में वसूली (₹)	अन्तशेष (₹)	टिप्पणी
2023-24	188437	491661	680098	548126	131972	——

(17.2) दुकान किराये के साथ वसूल किये गये वस्तु व सेवा कर की ₹1.57 लाख की राशि को सम्बन्धित विभाग के पास जमा न करवाना :—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के परा संख्या: 10.2.3 के अनुसार दिनांक 31/03/2023 तक नगर पंचायत द्वारा 81,216/- रु की राशि की वसूली किराया प्राप्ति के साथ वस्तु एवं सेवा कर के रूप में

प्राप्त की गई थी तथा वित्त वर्ष 2023-24 में भी ₹76,367/- की राशि वस्तु एवं सेवाकर के रूप में प्राप्त की गई है अर्थात अंकेक्षण अवधि 2023-24 तक कुल ₹1,57,583/-(81216+76367) की राशि सम्बंधित विभाग अर्थात वस्तु एवं सेवाकर विभाग के पास जमा नहीं करवाई गई है !

वित्त वर्ष में पालिका बैठक दिनांक 5.01.2024 की मद संख्या 520 में नगर पंचायत द्वारा वास्तु एवं सेवाकर की वसूली को बंद करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमे पूर्व में प्राप्त वस्तु एवं सेवाकर की राशि को आगामी किराये की राशि में समायोजित करने बारें प्रस्ताव पारित किया गया। परन्तु वस्तु एवं सेवाकर को बंद करने सम्बन्धी निर्णय किस अधिसूचना एवं नियम के आधार पर लिया गया है, के बारे में सम्बंधित दस्तावेज से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024.25/–25 दिनांकः 15/05/2024 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्याः न.प.अ./2024–503 दिनांक 21.05. 2024 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया अतः वस्तु एवं सेवाकर की वसूली दुकानों के किराये के साथ करने या न करने बारे उचित स्पष्टीकरण सम्बंधित विभाग से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं तदानुसार वस्तु एवं सेवाकर को वसूल किये जाने या बंद किये जाने बारे कार्यवाही अम्ल में लाई जाए तथा अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(17.3) दुकान किरायेदार द्वारा अनुबंध शर्तों का उलंघन करने के पश्चात भी नियमानुसार कार्यवाही न करना :-

नगर पंचायत द्वारा दुकानों को आबंटित करते समय दुकानदारों से किराये के भुगतान सम्बन्धी अनुबंध किया गया है जिसके अनुसार यदि कोई किरायेदार लगातार तीन महीने तक नगर पंचायत को किराये का भुगतान नहीं करता है तो अनुबंध की शर्त संख्या 3 के अनुसार अनुबंध को रद्द माना जायेगा। दुकान नम्बर 29/02 श्रीमती सुनीता भारती सुपुत्री श्री संत राम, वार्ड नम्बर 2 को ₹500/- (जीएसटी सहित) के मासिक किराये पर अनुबंध अवधि 1/04/2022 से 31/03/2027 तक दी गई थी/है। श्रीमती सुनीता द्वारा नगर पंचायत को ₹4377/-की राशि का बकाया भुगतान वित्त वर्ष 2022-2023 हेतु दिया जाना शेष था और उनके द्वारा मात्र ₹1000/- की राशि ही रसीद संख्या 47/159 दिनांक 5/10/2023 को नगर पंचायत को ऐडा अदा की गई थी तथा दिनांक 31/03/2024 तक उनके द्वारा ₹9377/- की राशि का भुगतान किया जाना शेष था।

उक्त के सन्दर्भ में चूँकि श्रीमति सुनीता द्वारा लगातार तीन महीने से अधिक अवधि तक नगर पंचायत को किराये का भुगतान नहीं किया गया था तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध रद्द

किये जाने का प्रावधान था परन्तु नगर पंचायत द्वारा शेष किराया वसूली से सम्बंधित कोई भी कार्यवाही न किये जाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-28 दिनांक:15/05/2024/-500 दिनांक 21/05/2024 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या : न.प.अ./2024/-500 दिनांक 21/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया है की श्री मति सुनीता द्वारा बकाया राशि में से ₹3000/- की राशि का भुगतान कर दिया है तथा दो सप्ताह की समयावधि में शेष राशि के भुगतान का आश्वासन दिया गया है ! अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार शेष वसूली योग्य राशि की वसूली कर आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की ₹37,500/-की राशि वसूली हेतु शेष :–

नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहायशी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के ऊपर मोबाईल टॉवर स्थापित किये गये है जिस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्याः (डी0आई0टी0)–डी0ई0वी0 (आई0टी0) 2005 (एम0आई0एस0सी0)–96 दिनांक 21.6.2017 द्वारा निर्धारित दरों से स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जाती है। सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक / शिमला / 2024.25 / –18 दिनांकः 13/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या एन.पी.ए./ऑडिट /2024- 468 दिनांक 14/05/2024 द्वारा सूचित किया गया है कि नगर पंचायत की सीमा में एयरटेल कंपनी व आईडिया कंपनी के मात्र दो मोबाइल टावर स्थापित्त किये गए है जिसमें से आईडिया कंपनी द्वारा 31/03/2021 तक नगर पंचायत को दी जाने वाली सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है जबकि एयरटेल कंपनी से 31/03/2021 तक ₹37,500/- की राशि प्राप्त होनी शेष थी जो की दिनांक 1/04/2021 को त्रुटिवश ₹50,000/- की दर्शा दी गई थी विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-11** पर संलग्न है। सचिव द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि हिमाचल सरकार के सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग की अधिसूचना संख्या IT(F) 1-1/2020 दिनांक 9/02/2021 द्वारा वित्त वर्ष 2022-2023 से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क राईट ऑफ़ वे निति के अंतर्गत देय नहीं है जिस कारण निम्न तालिका में 1/04/2023 को प्रारंभिक शेष ₹50,000/- के स्थान पर ₹37,500/- दर्शाया गया है। अतः इस बकाया राशि को शीघ्र

अति शीघ्र सम्बन्धित कंपनी से वसूल करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

19 सफाई शुल्क की ₹4.24 लाख की राशि वसूली हेतु शेष:-

नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में स्थित रिहायशी एवं व्यवसायिक भवन मालिकों तथा किरायेदारों से डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने की एवज में वसूली योग्य राशि से सम्बंधित आवश्यक सूचना प्रदान करने बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 12 दिनांक : 13/05/2024 जारी की गई थी जिसके प्रत्युत्तर में सचिव के पत्र संख्या न.प.अ./ऑडिट 2024 -470 दिनांक 15/05/2024 के माध्यम से सूचना प्रदान की गई जिसका विस्तृत विवरण **"परिशिष्ट 12"** में दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 31/03/2024 तक डोर टू डोर कूड़ा-कचरा एकत्रित करने की एवज में ₹4,24,223/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

अतः इस बकाया राशि को शीघ्र वसूल करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

20 विवाह प्रमाणपत्र जारी करने पर ₹400/- की कम वसूली :

नगर पंचायत द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पालिका बैठक के प्रस्ताव संख्या 290 दिनांक 19/03/2018 द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने के शुल्क की दर ₹200/- प्रति प्रमाण पत्र निर्धारित की गई थी जबकि नगर पंचायत को विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने की एवज में प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया की निम्न मामलों में विवाह प्रमाण-पत्र शुल्क ₹200/- के स्थान पर मात्र ₹100/- वसूला गया था जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-34 दिनांक : 17/05/2024 जारी की गई थी।

Sr. No.	Name	Receipt No.	Date	Amount Due (₹)	Amount Taken (₹)	Balance amt. to be recovered (₹)
1	Not mentioned	67/149	17/05/2023	200	100	100
2	Muskaan	76/149	24/05/2023	200	100	100
3	Leela Devi	77/149	24/05/2023	200	100	100
4	Not mentioned	0049/0147	13/04/2023	200	100	100
Total amount to be recovered ₹400/-						

उक्त अंकेक्षण अधियाचना के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या : न.प.अ./2024-479 दिनांक 20/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की जो कम वसूली की गई थी उसे रसीद संख्या/जी-8 नंबर 51/157 दिनांक 20.05.2024 द्वारा सम्बंधित व्यक्ति से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा कर दिया गया है जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी।

21 SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT (S.W.M.P.) में उर्वरक उत्पादन से शून्य आय:-

अंकेक्षण को ज्ञापन संख्या : सहा.नि./शिमला/2024-25/-44 दिनांक 22.05.2024 के संदर्भ में न.प.अ./2024-520 दिनांक 22.5.2024 द्वारा उपलब्ध कारवाई गयी सूचना से स्पष्ट है कि नगर पंचायत, अर्की द्वारा वर्तमान अंकेक्षण की अवधि की समाप्ति तक SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT से गली -सड़ी सब्जियों से खाद तैयार करने हेतु ₹26,720/- का खर्च बुरादा क्रय करने पर किया गया जिसके लिए नगर पंचायत द्वारा ₹1/- प्रति किलो की दर से बिक्री मूल्य भी निर्धारित किया गया है परन्तु इस खाद की कोई भी बिक्री नहीं की गई है तथा नगर पंचायत को खाद की बिक्री प्राप्त होने वाली आय से वंचित होना पड़ा है ! इसके अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार वित्त वर्ष 2023 -24 में SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT से अम्बुजा सीमेंट प्लांट, दारलाघाट को 78,337 किलोग्राम Reused Derived Fuel (RDF) उनके साथ किये गए Memorandum of Understanding (MOU) के अंतर्गत बिना किसी भुगतान के भेजा गया है | इस प्रकार प्लास्टिक के कूड़े का निपटारा तो हो रहा है परन्तु अन्य बायो डिग्रेडेबल कूड़े से उर्वरक पैदा कर आय सृजन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है | अतः सुझाव दिया जाता है कि इस संबंध में राज्य सरकार के कृषि एवं औधोनिकी विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर विशेष पग उठाये जायें ताकि वे इस संम्बध में आपको उक्त विभागों के अधीन नजदीकी सरकारी कृषि/ बागवाणी फार्म्स एवं जरूरतमंद किसानो तथा बागवानों से उर्वरक की मांग के संदर्भ में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाकर इस प्रसंग में नगर पंचायत हेतु आय के सृजन में सहयोग कर सकें | इस संम्बंध में आवश्यक कार्रवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

22 हवा घर के समीप निर्मित पार्किंग स्थल से नगर पंचायत को कोई भी आय प्राप्त न होना:-

नगर पंचायत, अर्की द्वारा वार्ड नम्बर 3 में हवा घर के पास नगर पंचयत क्षेत्र व अन्य आगन्तुको के लिए पार्किंग का निर्माण किया गया है जिसका निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग ₹27,51,481/-

का व्यय करने के उपरान्त किया गया था जिसका उल्लेख गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 तथा 01.04.2019 से 31.03.2022 में भी किया गया था । ज्ञापन संख्या : सहा.नि./शिमला/2024-25/-44 दिनांक 22.05.2024 के संदर्भ में न.प.अ./2024-520 दिनांक 22.5.2024 द्वारा उपलब्ध कारवाई गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत को वित्त वर्ष 2023-24 में भी इस पार्किंग से कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई है अंकेक्षण के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि नगर की मुख्य सड़क मार्ग को जिलाधीश, सोलन द्वारा "वर्जित पार्किंग स्थल" घोषित किया जाने के उपरांत भी स्थिति यथावत है | अत: सुझाव दिया जाता है कि एक ओर तो स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर जिलाधीश, सोलन के आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाये ताकि स्थानीय वाहन मालिक अपनी वाहनों को नगर पंचायत के पार्किंग स्थल में लगाने हेतु बाधित/ प्रेरित हों तथा वहीं दूसरी ओर इस सम्बन्ध में नगर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चला कर व् पार्किंग हेतु न्यूनतम आकर्षक मासिक दरें निर्धारित कर स्थानीय वाहन मालिकों को अपने निजी वाहनों को पार्किंग स्थल में लगाने हेतु प्रेरित कर नगर पंचायत हेतु आय के साधन सृजित करने का प्रयास किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

23 मदिरा शुल्क से नगर पंचायत को कोई भी आय प्राप्त न होना :

नगर पंचायत, अर्की को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई है जबकि शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(C) (9)-28/96-1 दिनांक 1/12/1999 के अनुसार नगर पंचायत परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से शराब/मदिरा शुल्क की प्राप्ति की जानी वांछित थी ! इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या:सहा.नि./शिमला/2024-25/-44 दिनांक 22.05.2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या: न.प.अ./2024-520 दिनांक 22.5 .2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सम्बंधित विभाग से इस बारे पूछा जायेगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में नगर पंचायत परिक्षेत्र में शराब की कितनी बोतलों की बिक्री हुई है तथा नगर पंचायत को प्राप्त होने वाली एक रुपए प्रति बोतल का भुगतान आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा क्यों नहीं किया गया है तथा इस बारे में आगामी अंकेक्षण के समय वस्तुस्थिति से अवगत करवाने का आश्वासन दिया गया है। अतः इसकी पुष्टि समय पर करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

स्थापना **(Establishment)**

24 श्री अजय गर्ग, सचिव, नगर पंचायत, अर्की को ₹650/- के कम्पनसट्री अलाउंस (Compensatory Allowance) का अनियमित भुगतान :-

नगर पंचायत कर्मचारियों के माह मार्च 2023 के वेतन बिलों जिसका की माह अप्रैल, 2024 में भुगतान किया गया है का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि श्री अजय गर्ग, सचिव, नगर पंचायत, अर्की को वेतन अवधि 11/2022 से 11/2023 के वेतन में कम्पनसट्री अलाउंस (Compensatory Allowance) का भुगतान ₹250/- मासिक के आधार पर किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश (वित्त विनियमन) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: फिन (सी)बी (7)-21/77-VII दिनांक 19/08/1987 के अनुसार सोलन जिला की ग्राम पंचायत मांगल को छोड़कर सम्पूर्ण सोलन जिला को ग्रुप-VIII में रखा गया है तथा जिसके लिए हिमाचल प्रदेश (वित्त विनियमन) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: फिन (सी)बी (7)16/98 दिनांक 11/06/1999 द्वारा ₹200/- प्रतिमाह की दर से कम्पनसट्री अलाउंस (Compensatory Allowance) देय है ! जबकि श्री अजय गर्ग, सचिव नगर पंचायत को हिमाचल सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक भुगतान किया जा रहा था जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-31 दिनांक : 17/05/2024 द्वारा श्री अजय गर्ग, सचिव को दिए गए कम्पनसट्री अलाउंस (Compensatory Allowance) को न्यायोचित ठहराये जाने बारे स्पष्टीकरण माँगा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या : न.प.अ./2024-487 दिनांक 21/05/2024 द्वारा सूचित किया गया की श्री अजय गर्ग इस बारे पत्र संख्या : न. प.अ./2024-476 दिनांक 20/05/2024 द्वारा सूचित कर दिया गया है, जो की वर्तमान में नगर पंचायत राजगढ़ में सचिव के पद्द पर कार्यरत है ! दिए गए उत्तर के संतोषजनक न पाए जाने के कारण यह परामर्श दिया जाता है की श्री अजय गर्ग को दिए गए अधिक भुगतान ₹650/- की शीघ्र अति शीघ्र वसूली कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए !

25 **श्री रामकरण वर्मा, कनिष्ट सहायक को ₹450/- के अनियमित कैश हैंडलिंग भत्ते का भुगतान :-**

नगर पंचायत कर्मचारियों के माह मार्च 2023 के वेतन बिलों जिसका की माह अप्रैल, 2024 में भुगतान किया गया है के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि श्री रामकरण वर्मा, कनिष्ट सहायक को माह 10/2022 से माह 03/2024 तक ₹75/- प्रतिमाह के दर से कुल ₹450/- के कैश हैंडलिंग भत्ते का भुगतान किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या : फिन (सी) बी (7)-59/77 दिनांक 20/04/1889 के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत्त क्लर्क,वरिष्ट क्लर्क या सहायक में से किसी एक को जो कैश हैंडलिंग से सम्बन्धित कार्य करता हो, को उनके द्वारा गत वर्ष में मार्च से फ़रवरी में दौरान नगद रूप से बांटे गए कैश जिसमें कि चैक,ट्रान्सफर,प्राप्तिया,वेतन-भत्ते आदि शामिल न किये गए हो, की औसत के आधार पर उक्त अधिसूचना में निर्धारित दरो के आधार पर भुगतान किया जाना वांछित था ! परन्तु नगर पंचायत द्वारा श्री रामकरण को ₹75/- प्रतिमाह की दर से अवधि 10/2022 से माह 03/2024 तक से कुल ₹450/- के कैश हैंडलिंग भत्ते का भुगतान किया गया था जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-32 दिनांक : 17/05/2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव के पत्र संख्या : न.प.अ./2024-489 दिनांक 21/05/2024 द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया अतः या तो नियमानुसार कैश हैंडलिंग भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अवधि 10/2022 से माह 03/2024 तक से कुल ₹450/- के अनियमित भुगतान को श्री रामकरण से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना जाना सुनिश्चित किया जाए !

26 यात्रा बिलो में सचिव, नगर पंचायत व कनिष्ट सहायक को ₹6,696/- का अनियमित भुगतान:-

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह में पाए गए यात्रा बिलो के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत के सचिव श्री अजय गर्ग व कनिष्ट सहायक श्री रामकरण द्वारा शासकीय कार्यो के निर्वहन हेतु यात्रा बिलों में अपनी निजी कार से यात्रा दर्शाकर ₹8/- प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा व्यय प्राप्त किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विनियमन (फाइनेंस रेगुलेशनस) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्यां: FIN-C-B(7)-14/98 दिनांक 8 दिसम्बर 1998 तथा 29 जुलाई 1999 द्वारा जारी निर्देशों के पैरा **10(3)** के अनुसार **"Only Secretaries/Special**

<u>Secretaries/ Head of the Departments with a basic pay of Rs.18400/-per month and above shall be entitled to use their own car or full taxi on official tour with the prior approval of the competent authority as required under the Economy instructions issued from time to time"</u> क्यूंकि उक्त निर्देशों के अनुसार सचिव नगर पंचायत इस श्रेणी में नहीं आते थे जिसके मध्यनजर उन्हें संलग्न तालिका में दर्शाया गया स्वंय की गाड़ी से वसूला गया ₹8 प्रति किलोमीटर का भुगतान उक्त यात्रा नियमों के अनुकूल सही प्रतीत नहीं होता है जिसके परिणाम स्वरुप श्री अजय गर्ग, सचिव, नगर पंचायत को ₹4916/- व श्री रामकरण, कनिष्ट सहायक को ₹1780/- का अधिक भुगतान हुआ है (विस्तृत विवरण हेतु **परिशिष्ट-19** व **परिशिष्ट-20** पर संलग्न है । अतः श्री अजय गर्ग, नगर पंचायत सचिव व श्री रामकरण, कनिष्ट सहायक द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वंय की गाड़ी से की गई समस्त यात्राओं को या तो सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करवाकर नियमित करवाया जाये अन्यथा इस प्रकार से की गई समस्त यात्राओं पर हुए अधिक भुगतान की राशि की गणना अपने स्तर पर करके उपरोक्त दर्शाई गई राशि ₹6,696/- व इसी प्रकार के अन्य मामलों से सम्बंधित समस्त अधिक भुगतान की गई राशि को सम्बंधित पक्ष से वसूल किये जाने बारें व उक्त वर्णित विधि से यात्रा व्यय के भुगतान के नियमानुसार स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-35 दिनांक :17/05/2024 द्वारा वस्तुस्तिथि से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने बारे अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव के पत्र संख्या : न.प.अ./2024-490 दिनांक 21/05/2024 द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया अतः या तो नियमानुसार उक्त वर्णित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा समस्त अत्यधिक भुगतान की सम्बन्धित से वसूली करके नगर पंचायत निधि में जमा कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए |

27 **श्री अजय गर्ग नगर पंचायत सचिव के यात्रा बिलो में यात्रा अवधि से सम्बंधित गंभीर अनियमितताए :**

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 04/2023 में पाए गए यात्रा बिलो के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत के सचिव श्री अजय गर्ग द्वारा शासकीय कार्यो के निर्वहन हेतु सोलन व शिमला को की गई यात्राओं को अनावश्यक रूप से एक दिन के स्थान पर तीन-तीन दिनों में पूर्ण किया गया है जबकि अर्की से सोलन की दुरी मात्र 56 किलोमीटर व शिमला की दूरी मात्र 50

किलोमीटर है (श्री अजय गर्ग के यात्रा बिलों के अनुसार) जिसे तय करने हेतु श्री अजय गर्ग के मुख्यालय अर्थात नगर पंचायत अर्की से अधिकतर दो-तीन या चार घंटों में सुविधापूर्वक तय किया जा सकता है और सोलन तथा शिमला दोनों ही स्थानों को यातायात साधनों की भी कोई दुविधा नहीं है ! श्री अजय गर्ग के यात्रा बिलों के किसी शासकीय कार्यों में उपस्तिथ होने हेतु संलग्न किये गए अधिकतर मामलों में (कृपया परिशिष्ट 22 का अवलोकन करें) उचाधिकारियों द्वारा प्रातः 11 बजे को ही किसी मीटिंग व अन्य शासकीय कार्यों हेतु उपस्तिथ होने का आदेश या आग्रह किया गया है ! परन्तु श्री अजय गर्ग , सचिव द्वारा एक दिन पूर्व ही सोलन व शिमला की यात्रा दर्शाई जा रही है तथा मीटिंग या किसी अन्य शासकीय कार्य के उपरांत भी मुख्यालय को यात्रा न करके तीसरे दिन ही यात्रा की जा रही है तथा दो – दो दिन का रात्री ठहराव सोलन या शिमला में ही दर्शाया गया है जबकि किसी भी मामले में उनके द्वारा होटल,गेस्ट/रेस्ट हाउस व किसी भी स्थान जहाँ पर उनके द्वारा रात्री ठहराव किया गया हो, के बिलों को भी संलग्न नहीं किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा मात्र दैनिक भत्ता प्राप्ति हेतु ही यात्रा व ठहराव को उपरोक्त वर्णानुसार दर्शाया जा रहा है जिससे न केवल संस्था को अतिरिक्त यात्रा दैनिक भतों का भुगतान करना पड़ रहा था बल्कि सरकार एवं संस्था के बहुमूल्य समय का भी ह्रास किया गया था ! श्री अजय गर्ग, नगर पंचायत सचिव के उक्त से सम्बंधित यात्रा बिलों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-21 में दर्शाया गया है ! अतः इसे प्रथमदृष्टया न्यायोचित ठहराये जाने तथा वस्तुस्तिथि से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 36 दिनांक : 17/05/2024 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव के पत्र संख्या : न.प.अ./2024-492 दिनांक 21/05/2024 द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया अतः या तो नियमानुसार उक्त वर्णित भुगतान को निदेशक, शहरी विकास विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त परिशिष्ट - में वर्णित समस्त यात्रयों का संशोधित बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त अत्यधिक कार्यदिवसों की वसूली एवं बिना किसी कार्य के कार्यालय से अनुपस्तिथ रहने की छुट्टी हेतु आवेदन प्राप्त कर नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए !

28 **श्री सुशील कुमार, कनिष्ट अभियंता की CPF कटौती राशि ₹920/- को उनके CPF खाते में जमा न करना :-**

नगर पंचायत कर्मचारियों के माह मार्च 2023 के वेतन बिलों जिसे की माह अप्रैल 2024 में भुगतान किया गया था, कि जांच करने पर पाया गया कि श्री सुशील कुमार, कनिष्ट अभियंता के वेतन से 12/2022 से 04/2023 तक ₹6,393/- प्रतिमाह कटौती की गई थी परन्तु उनके व्यक्तिगत CPF खाता संख्या 1001340010043, जो की जोगिन्द्र बैंक अर्की में खोला गया है, उस खाते में मात्र ₹6,209/- प्रतिमाह की दर से ही राशि जमा की गई है ! अतः उनके खाते में कुल ₹920/- की राशि कम जमा की गई थी ! जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 33 दिनांक : 17/05/2024द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव के पत्र संख्या : न.प.अ./2024-478 दिनांक 20/0 5/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ₹920/- की राशि CPF खाता संख्या 1001340010043 में वाउचर संख्या 477 द्वारा दिनांक 20.05.2024 को RTGS/NEFT द्वारा जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी !

29 **पैन्शन भुगतान बिलों में पाई गई अनियमितताएँ :-**

पैन्शन भुगतान बिलों की अंकेक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं

1. **पारिवारिक पैन्शन का अधिक भुगतान किया जानाः—** श्रीमति पूनम, सेवानिवृत सफाई कर्मचारी को नगर पंचायत दो पैन्शन का भुगतान करती है। एक तो उनकी अपनी सेवानिवृति पैन्शन तथा दूसरी उनके स्वर्गीय पति श्री जीतराम, सेवानिवृत सफाई कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पैन्शन का भुगतान क्रमशः ₹7190/— तथा ₹3500/— प्रतिमास की मूल पैन्शन की दर से किया जा रहा है। परन्तु उन्हे ₹3500/— प्रतिमास की दर भुगतान की जा रही पारिवारिक पैन्शन का निर्धारण हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के ज्ञापन संख्याः No. Fin(Pen)A(3)-1/09-Part-II dated 14.10.2009 (pertaining to pre-2006 pensioners) के नियम 5 के प्रतिकूल किये जाने के कारण यह अनियमित है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा (11.2) में भी अनुच्छेद 20.1 पर विस्तृत आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु नगर पंचायत अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

2. **पारिवारिक पैन्शन के साथ महँगाई राहत का भुगतान न करनाः—** श्रीमति निर्मला देवी को उनके स्वर्गीय पति श्री जगदीश तनवर, सेवानिवृत वरिष्ठ लिपिक की मृत्यु पश्चात

₹4773/– की पारिवारिक पैंशन तथा गत उप–अनुच्छेद में वर्णित श्रीमति पूनम देवी को ₹3500/– प्रतिमास की दर से पारिवारिक पैन्शन का भुगतान किया जा रहा है। परन्तु इसके साथ नियमानुसार देय महँगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया था। इस बारे में अवधि 04/2019 से 03/2022 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अनुच्छेद 20.2 पर तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी विस्तृत आपत्ति दर्ज किये जाने **के बावजूद** भी अभी तक नगर पंचायत द्वारा कोई अनुपालना कार्रवाई नहीं की गई है।

3. **पैन्शन भत्ते का लाभ जारी नहीं किया जानाः**– सभी पैन्शन व पारिवारिक पैन्शन भोगियों को प्रावधित नियमों के अनुरूप 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से देय पैन्शन भत्ते का लाभ जारी नहीं किया गया है। जबकि **परिशिष्ट -18** में दर्शाए गए पैंशन धारकों अथवा पारिवारिक पैंशन धारकों को तालिका में दर्शाई गई तिथि से पैंशन भत्ता देय है

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/ शिमला/2023/–325 दिनांकः 17/05/2024 द्वारा पैंशन भत्ते का भुगतान न करने बारे औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2024–480 दिनांक 20.05.2024 द्वारा अवगत कराया गया की पैंशन धारको व पारिवारिक पैंशन धारको को पैंशन भत्ते की राशि नियमानुसार निर्धारित अवधि से प्रदान करने हेतु वाउचर संख्या 477 दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 6518000100012763 से आरटीजीएस/एनइएफटी करवा दिया गया है परन्तु अंकेक्षण के दौरान उसकी पुष्टि नहीं करवाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि सक्षम अधिकारी से उपरोक्त पैंशन धारको व पारिवारिक पैंशन धारको के पैंशन पेमेंट ऑर्डर्स को संशोधित करवाकर नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के उपरान्त उनके वसूली योग्य व देय लाभों का तदानुसार निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 अग्रिमः

सचिव नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/शिमला/2024-25 /–7 दिनांकः 3/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत अर्की द्वारा पत्र संख्या न.प.अ./2024 -458 दिनांक 14/05/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत द्वारा कोई भी राशि अग्रिम के रूप में नहीं दी गई है अतः दिनांक 31. 03.2024 को समायोजन हेतु शेष अग्रिमों की राशि शून्य थी।

31 नगर पंचायत कर्मचारियों के सन्दर्भ में पैन्शन व ग्रैच्युटी, सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि की रोकड़ बही व लैजर खातों का अनुरक्षण न करना :–

सचिव नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ ‍िनयन्त्रक/शिमला/2024-25/–30 दिनांकः 17/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत अर्की द्वारा पत्र संख्या न.प.अ./2024 -505 दिनाँक 21/05/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारियों से सम्बन्धित पैन्शन व ग्रैच्युटि के भाग को सचिव के नाम से खोले गये बैंक खाते में जबकि कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि अभिदान (नियोक्ता अंश सहित) की कटौती सम्बन्धित कर्मचारी के व्यक्तिगत बचत बैंक खाते, जो कि सचिव के नाम गिरवी है, में जमा करवाया जाता है। दिनांक 31.03.2024 को इन बचत खातों के कुल शेष का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1	पैन्शन व ग्रैच्युटि निधि का दिनांक 31.03.2024 को कुल शेष **परिशिष्ट–6**	₹6,14,338
2	कर्मचारी के सचिव के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा सामान्य भविष्य निधि का दिनांक 31.03.2024 को कुल शेष **परिशिष्ट–13**	₹26,29,474.66
3	कर्मचारी के सचिव के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा अंशदायी पैन्शन निधि (नियोक्ता अंश सहित) का दिनांक 31.03.2024 को कुल शेष **परिशिष्ट–14**	₹57,36,833.50

इन खातों के सन्दर्भ में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:–

1. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर पंचायत कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास भविष्य निधि से सम्बन्धित की जाने वाली कटौतियों व आहरण की कार्यपद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारूप आदि प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस सन्दर्भ में लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है।
2. उपरोक्त नियमों में प्रावधित भविष्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारूप पी॰ एफ॰ 7 – 1 से पी॰ एफ॰ 12 में बनाए जाने वाले खातों/लैजर का नगर पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया है।
3. उपरोक्त अभिलेख के अभाव में की गई कटौतियों की गणना, उनके लेखांकन, बैंक में जमा करवाया जाना, इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि व जाँच नहीं की जा सकी है।

4. इसी प्रकार अंशदायी पैन्शन निधि मासिक अभिदान, जिसमें कर्मचारी तथा नगर पंचायत दोनों का अभिदान, सम्मिलित है को "पैन्शन फण्ड नियामक एवँ विकास प्रधिकरण" द्वारा संचालित एन. पी. एस. खाता (NPS Account with "Pension Fund Regulatory and Development Authority) खोल कर उसमें प्रत्येक माह जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम से NPS Account खुलवाये ही नहीं गये हैं और दोनों प्रकार के अभिदान की राशि उपरोक्त बचत खातों में ही जमा करवाई जा रही है। यह न केवल गम्भीर अनियमितता है परन्तु साथ ही कर्मचारियों के सेवानिवृति पश्चात के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है क्योंकि इस परिस्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की पैन्शन उपलब्ध नहीं होगी।

अतः अब इस अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए इसे भविष्य हेतु तैयार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ :

32 टारगेट ग्रीन प्लानेट,संविदाकार से सफाई सम्बन्धी सेवाओं के भुगतान पर स्त्रोत पर काटे गए आयकर ₹70,392 /- को आयकर विभाग में जमा न करवाना :

नगर पंचायत , अर्की के अप्रैल, 2023 के व्यय सम्बन्धी बिलों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत के सभी सात वार्डो में सफाई सम्बन्धी सेवाओं व डोर टू डोर गारबेज इक्कठा करने हेतु टारगेट ग्रीन प्लानेट C/O चरण दास ,समीप शिव मन्दिर,वार्ड नम्बर 9, बद्दी के साथ न्यूनतम निविदा/टेंडर के आधार पर ₹2,93,300/- प्रतिमाह के हिसाब से सम्पूर्ण वित्त वर्ष 2022-2023 अर्थात 1/04/2023 से 31/03/2023 तक अनुबंध किया गया था तथा उसी अनुबंध के अनुरूप टारगेट ग्रीन प्लानेट को 03/2023 में दी गई सेवायों के लिए 04/2023 में ₹5,866/- स्त्रोत पर 2% आयकर की कटौती करने के उपरान्त शेष राशि ₹2,87,434/- (2,93,300-5,866) का भुगतान RTGS के माध्यम से दिनांक 4/04/2023 (रोकड़ बही पृष्ट संख्या 140) को किया गया था ! परतु नगर पंचायत द्वारा सम्पूर्ण अनुबंध अवधि,1/04/2023 से 31/03/2023 के दौरान टारगेट ग्रीन प्लानेट को 2% स्त्रोत पर आयकर की कटौती करने के उपरान्त ही शेष राशि का भुगतान किया गया था ! इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा टारगेट ग्रीन प्लानेट के बिल से 12 महीनो की अवधि में कुल ₹70,392/- (5,866*12) की कटौती बतौर टीडीएस की गई थी परन्तु इस राशि को आयकर विभाग में जमा नहीं करवाया गया था जबकि आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप टीडीएस की राशि को निर्धारित समयावधि में आयकर विभाग में जमा

करवाया जाना वांछित था ! अतः इस राशि को आयकर विभाग में जमा न करवाने को न्यायोचित ठहराये जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-43 दिनांक : 22/05/2024 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने का आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या : न.प.अ./2024/-512 दिनांक 22/05/2024 द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया अतः उक्त वर्णित स्त्रोत पर की गई आयकर की कटौती को आयकर विभाग में जमा करवाकर सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

33 **श्री नरेश कुमार, संविदाकार से चालक सम्बन्धी सेवाओं के भुगतान पर स्त्रोत पर काटे गए आयकर ₹4,620/- को आयकर विभाग में जमा न करवाना** : -

नगर पंचायत के कूड़ा ट्रक को चलाने हेतु न्यूनतम निविदा के आधार पर ₹570 प्रति कार्यदिवस के आधार पर चालक की सेवाएँ प्रदान करने हेतु श्री नरेश कुमार के साथ 1/01/2023 से 31/03/2024 तक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया जिसके अनुसार चालक की सेवाओं हेतु माह 03/2023 में ₹15,390/- का भुगतान श्री नरेश कुमार को देय था परन्तु श्री नरेश कुमार को 04/2023 में देय राशि ₹15,390/- में से 2% स्त्रोत पर आयकर की कटौती अर्थात ₹308/- की कटौती करने के उपरान्त ही शेष राशि ₹15,082/- का भुगतान किया गया है और ₹308/- की राशि को भी आयकर विभाग में जमा न करवाकर नगर पंचायत निधि में ही रखा गया है इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा श्री नरेश कुमार सेवा प्रदाता के बिल से 15 महीनो की अवधि में कुल ₹4,620/- (308*15) की कटौती बतौर टीडीएस की गई है परन्तु इस राशि को आयकर विभाग में जमा नहीं करवाया गया है जबकि आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप टीडीएस की राशि को निर्धारित समयावधि में आयकर विभाग में जमा करवाया जाना चाहिए था ! अतः इस राशि को आयकर विभाग में जमा न करवाने को न्यायोचित ठहराये जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-43 दिनांक : 22/05/2024 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने का आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या : न.प.अ./2024/-512 दिनांक 22/05/2024 द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया अतः उक्त वर्णित स्त्रोत पर की गई आयकर की कटौती को आयकर विभाग में जमा करवाकर सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए !

34 **मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना में नगर पंचायत निधि से व्यय की गई ₹3.75 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति शेष :-**

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 2023-24 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना में नगर पंचायत निधि से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹3,15,325/- का व्यय किया गया है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- 15** में दिया गया है। इस अवधि के दौरान नगर पंचायत को मात्र ₹5,70,575/- की ही राशि प्राप्त हुई है जबकि गत अंकेक्षण के पैरा संख्या 14.1 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भी नगर पंचायत द्वारा ₹6,29,950/- की राशि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना में व्यय की गई थी जिसकी प्रतिपूर्ति निदेशक, शहरी विकास विभाग,शिमला से प्राप्त की जानी शेष थी। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा अवधि 1/04/2022 से 31/03/2024 तक के दो वर्षों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना में कुल ₹9,45,275/-(6,29,950+3,15,325) की राशि व्यय की गई परन्तु इस व्यय के विरुद्ध मात्र ₹5,70,575/- की ही राशि माह नवम्बर,2023 में प्राप्त हुई है। अतः 31/03/2024 तक निदेशक शहरी, विकास विभाग,शिमला से वसूली योग्य शेष राशि ₹3,74,700/-(9,45,275-5,70,575) की प्रतिपूर्ति न किये जाने बारे स्तिथि स्पष्ट करने हेतु अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-42 दिनांक : 21/05/2024 जारी की गई थी जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या: न.प.अ.2024 -496 दिनांक 21/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया की इस विषय में शहरी विकास विभाग से समय- समय पर चर्चा की गई है और जैसे हि यह राशि शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत को दी जायेगी वैसे ही अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

35 **नगर पंचायत द्वारा एकल प्रयोग प्लास्टिक (सिंगल यूस प्लास्टिक) के वापिस खरीद पॉलिसी (बाय बेक पालिसी) पर व्यय की गई ₹20.20 लाख की राशि का निदेशक, शहरी विकास विभाग से प्रतिपूर्ति शेष :-**

नगर पंचायत के वित्त वर्ष 2022-2023 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या (14.2) के अनुसार नगर पंचायत द्वारा एकल प्रयोग प्लास्टिक (सिंगल यूस प्लास्टिक) के वापिस खरीद पॉलिसी (बाय बेक पालिसी) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2023 तक ₹10,72,350/- की राशि की प्रतिपूर्ति निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त होनी शेष थी जबकि

इसके उपरान्त वित्त वर्ष 2023-24 में भी नगर पंचायत द्वारा ₹11,44,500/- की राशि का भुगतान वापिस खरीद पॉलिसी (बाय बेक पालिसी) के अंतर्गत वेस्ट पिकर्स व मकान मालिकों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के क्रय पर व्यय किया गया है जबकि इस अवधि में मात्र ₹1,96,969/-की ही राशि की प्रतिपूर्ति निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है तथा वित्त वर्ष के अन्त अर्थात दिनांक 31/03/2024 को ₹20,19,881/- की राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी शेष थी, जैसा कि सचिव, नगर पंचायत, अर्की द्वारा अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-19 दिनांक : 13/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या : न.प.अ./2024-463 दिनांक 14/05/2024 के माध्यम से सूचित किया गया है !

पर्यावरण एवं तकनिकी विभाग,हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या STE-F(4)-1/2017 दिनांक 01.10.2019 द्वारा जो की निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि. प्र.के कार्यालय पत्र संख्या UD-H(F)-(1)-1/2016(PWM Rules)-1-35601-665 दिनांक 29.10.2019 द्वारा सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों को पृष्ठांकित भी की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि इसकी प्रतिपूर्ति निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत को की जानी वांछित है । अतः निम्न तालिका में दिनांक 31.03.2024 को दर्शाई गई वसूली योग्य शेष राशि की वसूली कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

नगर पंचायत एकल प्रयोग प्लास्टिक (सिंगल यूस प्लास्टिक) के वापिस खरीद पॉलिसी (बाय बेक पालिसी) पर व्यय की गई एवं निदेशक, *शहरी विकास विभाग से प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त राशि का विवरण

वित्त वर्ष	प्रारंभिक शेष	एकल प्रयोग पलास्टिक की खरीद पर व्यय की गई राशि	कूल योग	निदेशक शहरी विकास विभाग,हि. प्र. से प्राप्त राशि	अन्तशेष (दिनांक 31.03.2024 तक वसूली हेतु शेष राशि)
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4-5)
2023-2024	10,72,350.00	11,44,500.00	22,16,850.00	1,96,969.00	20,19,881.00

36 **कूड़ा एकत्रीकरण की राशि ₹2.17 लाख को अत्यंत विलम्ब के साथ नगर पंचायत के खाते में जमा करवाने के फलस्वरूप प्राप्त एवं एकत्रित की गई राशि का संभावित दुर्विनियोजन :-**

नगर पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू.डी.एच.(ऍफ़)-(2)-3/18 (डीडीजीसी)-एसडब्लू एम-2016 के नियम 15(बी) व (ई) के निर्देशों के मध्यनजर नवदुर्गा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने की एवज में लिए जाने वाले शुल्क की वसूली की जा रही थी। अंकेक्षण हेतु चयनित माह के शुल्क एकत्रीकरण की आय की पड़ताल करने पर पाया गया कि स्वयं सहायता समूह द्वारा एकत्रित की जा रही राशि को समय पर नगर पंचायत के खाते में जमा न करके अत्यंत विलम्ब के साथ अर्थात एक-एक महीने या उससे अधिक अवधि तक भी नगर पंचायत के खाते में जमा नहीं किया जा रहा था। नगर पंचायत के खाते में राशि विलम्ब के साथ जमा करने के कारण एकत्रित राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है ! जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुसार प्राप्त की गई राशि को या तो उसी दिन या अवकाश आदि होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को प्राप्त राशि को संस्था के खाते में जमा कए जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या: सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-21 दिनांक :15/05/2024 के माध्यम से स्वयं सहायता समूह द्वारा एकत्रित की जा रही राशि को अत्यंत विलम्ब के साथ नगर पंचायत के खाते में जमा किये जाने बारे स्तिथि स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या न.प.अ./2024 -519 दिनांक 22/05/2024 द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः विलम्ब से जमा करवाई गई राशि पर नियमानुसार जुर्माना ब्याज वसूल कर नगर पंचायत के खाते में जमा कर आगामी अंकेक्षण के समय स्तयापनार्थ प्रस्तुत करें ।

विलम्ब से जमा की गई राशि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -16** पर दर्शाया गया है।

37 **ऑनलाइन कूड़ा एकत्रीकरण की राशि के बारें में कूड़ा देने वाले के नाम-पते की जानकारी न होना :-**

अंकेक्षण हेतू चयनित माह अर्थात मई, 2023 की आय की पड़ताल करने के दौरान पाया गया की नगर पंचायत द्वारा निम्न राशि की प्राप्ति ऑनलाइन माध्यम से सीधे निम्न बैंक खातों में

प्राप्त की गई है किन्तु यह राशि किस व्यक्ति या संस्था से प्राप्त हुई है इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है जिसके बारें में स्तिथि स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 22 दिनांक : 22/05/2024 जारी की गई थी जिसकी अनुपालना में सचिव नगर पंचायत द्वारा अवगत करवाया गया कि सभी सरकारी विभागों को सूचित कर दिया जाएगा की ऑनलाइन कूड़ा एकत्रीकरण की राशि जमा करवाने के पश्चात् पूर्ण विवरण सहित नगर पंचायत को सूचित किया जाए। परन्तु वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त राशि के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः ऑनलाइन प्राप्त राशि का पता लगाकर सम्बंधित रोकड़ बही/खाताबही में प्रविष्टि करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कूड़ा एकत्रीकरण की राशि का विवरण

क्र. सं	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	दिनांक	प्राप्त राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ट संख्या
1	यूको बैंक	9843	9.05.2023	600	146
2	पंजाब नॅशनल बैंक	12763	26.05.2023	2100	158

38 डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण की ₹978/- की कम वसूली :-

अंकेक्षण हेतू चयनित माह अर्थात मई, 2023 की आय की पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा श्री सतिंदर बर्तन स्टोर, अर्की C/O श्री राकेश शर्मा से रसीद संख्या 23203 द्वारा दिनांक 4/04/2023 को ₹750/- की राशि अवधि 04/2023 से 03/2024 तक कूड़ा एकत्रित करने के शुल्क के रूप में प्राप्त की गई है जबकी नगर पंचायत द्वारा दिनांक 22/03/2023 की बैठक में मद संख्या 463 द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में दुकानों से ₹80/- प्रति माह की दर से शुल्क वसूल किये जाने की दरें निर्धारित की गई है और यदि कोई अग्रिम रूप से कूड़ा शुल्क का भुगतान करता है तो शुल्क की अग्रिम राशि पर 10% छूट का भी प्रस्ताव पारित किया गया है इस प्रकार 12 महीने की अवधि का शुल्क ₹80/- प्रतिमाह की दर से ₹960/- बनता था और 10% की छूट देने के बाद ₹864/- की राशि वसूल की जानी वांछित थी परन्तु श्री सतिंदर बर्तन स्टोर, अर्की से मात्र ₹750/- की ही राशि वसूल की गई है। अतः शेष ₹114/- की राशि की कम वसूली की गई थी।

इसी प्रकार जय ऑटो वर्क्स अर्की C/O श्रीमती अम्बिका शर्मा, वार्ड नम्बर 7 से रसीद संख्या 22843 द्वारा दिनांक 27/04/2023 को ₹1296/- की राशि अवधि 04/2023 से 03/2024 तक कूड़ा एकत्रित करने के शुल्क के रूप में प्राप्त की गई है जबकि नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क (मेकेनिक की दुकान) ₹200/- प्रतिमाह के हिसाब से ₹2400/- तथा 10% अग्रिम शुल्क के उपरान्त ₹2160/- की राशि वसूल की जानी वांछित थी जबकि मात्र ₹1296/- की ही राशि वसूल की गई है। अतः जय ऑटो वर्क्स अर्की से भी ₹864/- की कम वसूली की गई थी जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 23 दिनांक : 15/05/2024 जारी कर कम वसूल की गई राशि का औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके उत्तर में पत्र संख्या न.प.अ./2024 -518 दिनांक 22/05/2024 द्वारा सचिव द्वारा अवगत करवाया गया की कुल ₹978/- की राशि वसूल कर नगर पंचायत के खाते में जमा करवा दी गई है तथा अंकेक्षण के दौरान वसूल की गई राशि की पुष्टि भी कर ली गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

रसीद संख्या 47/167 दिनांक 20/05/2024 द्वारा की गई वसूली ₹504/-
रसीद संख्या 50/167 दिनांक 20/05/2024 द्वारा की गई वसूली ₹360/-
रसीद संख्या 62/167 दिनांक 22/05/2024 द्वारा की गई वसूली ₹114/-
कुल वसूली की गई राशि ₹978/-

39 नियत तिथि से पूर्व बिजली बिलों का भुगतान न करने के परिणामस्वरुप ₹6,93,201.62 की राशि का सरचार्ज के रूप में अनियमित भुगतान :-

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 04/2023 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 19/04/2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य विधुत निगम लिमिटेड को निम्न वर्णित बिजली मीटरों के उपभोक्ता संख्या के सामने दर्शाई गई राशि के अनुसार कुल राशि ₹7,23,537.38 का भुगतान किया गया है जबकि इन बिलों के भुगतान में निम्न तालिका के कालम नम्बर पाँच में दर्शाई गई राशि अर्थात ₹6,93,201.62 की राशि बकाया बिलों के रूप में दर्शाई गई थी जिसमे की एनेर्जी शुल्क, विद्युत लाइन मुरम्मत शुल्क तथा बिजली के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक या उससे पूर्व न करने के कारण सरचार्ज अर्थात बिजली के बिलों का निर्धारित समय अवधि में भुगतान न करने का विलम्ब शुल्क भी शामिल किया गया है, जिसे बगर पंचायत द्वारा बिजली बिलों को निर्धारित नियत तिथि से पूर्व भुगतान करके बचाया जा सकता था। अतः बिजली बिलों का भुगतान

नियमित रूप से नियर तिथि तक न करने के कारण विद्युत विभाग द्वारा पिछले बिलों की राशि को सरचार्ज सहित आगामी माह में बिलों में जोड़ा जाता रहा जिसे निर्धारित समयावधि से पूर्व भुगतान करने पर नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि से बचाया जा सकता था जबकि इसमें सम्बन्धित अनियमितता बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 14.3 के द्वारा भी अंकेक्षण आपत्ति दर्ज की गई थी। अतः उक्त राशि `₹693201.62 में सम्मिलित एनर्जी शुल्क व विद्युत लाइन मुरम्मत शुल्क तो उचित प्रतीत होता है परन्तु निर्धारित समयावधि तक बिजली के बिलों को जमा न करने के कारण जिस सरचार्ज राशि का नगर पंचायत को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा है वह उचित प्रतीत नहीं होता है तथा संस्था की लचक कार्यप्रणाली एवं शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है, जिस कारण वित्तीय संसधानों की कमी से जूझ रही नगर पंचायत को अनावश्यक रूप से बहुत बड़ी राशि का भुगतान सरचार्ज के रूप में करना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर "यदि बिजली बिल अवधि 04/02/2023 से 04/03/2023 के निम्न वर्णित चार बिलों का भुगतान नियत तिथि तक न किया जाता तो नगर पंचायत को निर्धारित तिथि के पश्चात विद्युत् विभाग को ₹10834.34 की राशि का अतिरिक्त भुगतान आगामी माह में सरचार्ज के रूप में करना पड़ता और विद्युत विभाग द्वारा आगामी माह के बिल में ₹10834.34 की राशि को जोड़कर पिछली बकाया राशि ₹723547.38 के स्थान पर ₹734381.72 दर्शाई जाती "।

इसी प्रकार नगर पंचायत द्वारा जब 04/2023 में ₹723547.38 के बिजली बिल का भुगतान किया गया तो उसमें भी `₹693201.62 की बकाया राशि सम्मिलित थी तथा इस बकाया राशि में वास्तविक बिजली बिलों के अतिरिक्त विभिन्न गत अवधियों के अदत बिलों की सरचार्ज राशि का भी भुगतान नगर पंचायत द्वारा किया गया है, जिसे किसी भी प्रकार से नियमानुसार न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। यदि नगर पंचायत द्वारा नियत तिथि से पूर्व नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान किया गया होता, तो नगर पंचायत को इस वित्तीय हानि से बचाया जा सकता था।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 38 दिनांक : 20/05/2024 जारी कर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्याः न.प.अ. /2024-501 दिनांक 21/05/2024 के माध्यम से सचिव, नगर पंचायत द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः यह स्पष्ट किया जाए कि ₹6,93,201.62 की यह बकाया राशि किस–किस अवधि से सम्बंधित है तथा इसमें कितनी राशि सरचार्ज के रूप में सम्मिलित है, तदोपरान्त इस मामले में सम्बंधित पक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अधिक भुगतान की गई राशि बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए अन्यथा ₹693201.62 के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा राशि की वसूली कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त पैरा में वर्णित बिजली बिल भुगतान राशि का विवरण

क्रम संख्या	बिजली बिल उपभोक्ता संख्या	बिजली बिल अवधि	बिजली बिल की जमा की गई राशि में सम्मिलित बकाया राशि (₹) (Privous arrear of electricity bills)	वर्तमान अवधि के बिजली बिल की राशि (₹) (Current bill of electricity)	बिजली बिल की जमा की गई राशि (₹) (Amount of electricity bills deposited by due date)	बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि पर न करने पर सरचार्ज राशि (₹) (Surcharge if the bill amount shown at column No. 4 are not deposited on or before the due date)
1	2	3	4	5	6	
1	100003000009	4-02-23 से 4-03-23-	40459.68	1377.80	41837.48	625.26
2	100003000000	4-02-23 से 4-03-23-	358870.38	18540.47	377410.85	5650.96
3	100003000019	4-02-23 से 4-03-23-	109380.17	1596.42	110976.59	1662.59
4	100003000025	4-02-23 से 4-03-23-	184491.39	8831.07	193322.46	2895.53
			693201.62	30345.76	723537.38	10834.34

40 बिजली बिल उपभोक्ता संख्या:ID100002000093 में ₹909/-का अतिरिक्त भुगतान :-

नगर पंचायत, अर्की के बिजली बिल उपभोक्ता संख्या: ID100002000093 जो की बिल अवधि 14/03/2023 से 14/04/2023 के अंतर्गत विद्युत खपत हेतु बिल राशि ₹2,366/- का जारी किया गया था जिसका भुगतान नगर पंचायत द्वारा यूको बैंक खाता संख्या 03920100009843 से दिनांक 21.04.2023 को किया गया था जो की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 142 पर दर्ज किया गया है।

इस बिल की जांच करने पर पाया गया कि बिल राशि ₹2366/- में विद्युत विभाग द्वारा ₹909/- के sundry charges भी सम्मिलित किये गए है जोकि विद्युत खपत से सम्बंधित न होकर विद्युत विभाग द्वारा किसी अन्य कारण से वसूली हेतु लगाये गए थे जोकि नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होते थे जिसके स्पष्टीकरण हेतु अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-39 दिनांक :20/05/2024 जारी की गई थी जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नाहर पंचायत द्वारा पत्र संख्या : न.प.अ./2024 -493 दिनांक 21/05/2024 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया अतः इस मामले को बिजली विभाग से उठाकर सही वस्तुस्थिति का पता लगाकर तदानुसार उचित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

41 निविदा आमंत्रित किये बिना ही विज्ञापन पर ₹3200/- की राशि का व्यय :-

नगर पंचायत, अर्की द्वारा वार्ड नम्बर 4 में पार्किंग की नीलामी हेतु अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 6/04/2023 को छपवाए गए विज्ञापन के लिए श्री योगेश शर्मा, रिपोर्टर अमर उजाला को दिनांक 18/04/2023 को ₹3,200/- का भुगतान किया गया है ! जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तिय नियम 2009 के नियम 98 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ₹3,000/- से ऊपर की राशि के भुगतान एवं क्रय हेतु निविदाये आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय एवं भुगतान किया जाना अनिवार्य है ! इसके अतिरिक्त विज्ञापन सम्बन्धी कार्य करने हेतु निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या : I&PR-H(P)6(Advts)-4(App)/2013-2976 दिनांक 5/07/2013 द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी विभागों,बोर्ड, कारपोरेशन एवं स्थानीय निकायों को दिशानिर्देशों जारी किये गए है जिसके अनुसार सभी प्रकार के विज्ञापन सम्बन्धी कार्य हेतु निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त उनके द्वारा अनुमोदित दरों पर ही करवाए जाने वांछित थे ! जबकि नगर पंचायत द्वारा श्री योगेश शर्मा, रिपोर्टर को विज्ञापन सम्बन्धी कार्य हेतु आदेश दिए जाने से पूर्व न तो निविदाएँ ही आमंत्रित की गई और न ही सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश से अनुमोदन हि प्राप्त किया गया जिस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-40 दिनांक :20/05/2024 जारी की गई थी जिसके उत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या : न.प.अ./2024-495 दिनांक 21/05/2024 के माध्यम से दिया गया उत्तर संतोषजनक न पाए जाने के दृष्टिगत इसे

निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

निर्माण कार्यों में व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ:

42 वार्ड नम्बर 5 में गौशाला के समीप निर्मित किये गए न्यू टॉयलेट ब्लाक के निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितता बारे :-

निर्माण कार्य का विवरण :

कार्य का नाम :	न्यू टॉयलेट ब्लाक निर्माण,समीप गौशाला,वार्डसंख्या 5
संविदाकार(कांट्रेक्टर) का नाम:	श्रीमती हेम लता गुप्ता
अवार्ड पत्र संख्या :	एनपीए/वर्क्स/2016-64 दिनांक 20/01/2022
टेंडर राशि (अवार्ड लैटर के अनुसार):	5,91,577/-
निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि:	3 /02/2022
निर्माण कार्य समाप्ति की तिथि :	2/05/2023
माप पुस्तिका संख्या :	2/2021

उक्त वर्णित निर्माण कार्य की पड़ताल करते समय निम्न अनियमितताए पाई गई।

(42.1) अवार्ड लैटर की शर्त संख्या 10 के अनुसार आबंटन पत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर संविदाकार को नगर पंचायत सचिव के साथ आबंटित किये गए निर्माण कार्य से सम्बंधित अनुबन्ध को हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए था परन्तु नगर पंचायत द्वारा संविदाकार के साथ कोई भी अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था जबकि निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व संविदाकारों के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित न करना "CPWD Works Manual, 2022" के अध्याय 5 में दिये विस्तृत प्रावधानों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना है क्योंकि संविदाकार के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अभाव में निर्माण कार्य निष्पादन में त्रुटि की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा संविदाकार के विरूद्ध दायित्व निर्धारण अथवा कानूनी कार्रवाई की जानी सम्भव नहीं हो पाती है।

(42.2) यह कार्य ₹591577.00 की राशि के लिये आबन्टित किया गया जबकि ₹594091.00 के कुल व्यय के साथ निष्पादित किया गया था। जिसमें की ₹2514/– की अधिक

राशि की Deviation पाई गई है परन्तु न तो नगर पंचायत द्वारा इसकी विचलन विवरणी (Deviation Statement) तैयार की गई है और न ही इसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया गया था।

(42.3) उक्त कार्य से सम्बंधित न्यायिक दरों का आकलन नहीं किया गया था जिससे कि संविदाकारों द्वारा दी गई मदवार दरों की तुलना न्यायिक दरों से करके अत्यधिक उच्च मद दरों व अत्यधिक निम्न मद दरों की पुष्टि की जा सकती तथा उसी के अनुसार अत्यधिक उच्च मद दरों व अत्यधिक निम्न मद दरों के निष्पादन सम्बन्धी शर्तों को अनुबन्ध व संविदाकार को निर्माण कार्य हेतु जारी अवार्ड/आबंटन पत्र में भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना वांछित था।

(42.4) निर्माण कार्य बिलों से काटी गई रॉयल्टी की ₹4908/- की राशि को खनन विभाग के पास जमा न करवाना :-

नगर पंचायत द्वारा न्यू टॉयलेट ब्लाक निर्माण के द्वितीय एवं अंतिम बिल में से रॉयल्टी राशि ₹4908/- तो काटी गई थी परन्तु इस राशि को खनन विभाग में जमा न करवाकर नगर पंचायत निधि में ही रखा गया है जबकि Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of illegal mining Transport and Storage) Rules 2015 के नियम 4 (1),18(1) व 19 (1) (9) के प्रावधानों के अनुसार वसूल की गई रॉयल्टी की राशि को खनन विभाग के पास जमा करवाया जाना वांछित था।

(42.5) संविदाकार के निर्माण कार्य बिल से काटी गई श्रम उपकर की राशि ₹5,942/- को श्रम विभाग में जमा न करवाना :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पूर्ण हुए उक्त निमार्ण कार्य बिल से ₹5,942/- की कटौती श्रम उपकार के रूप में करके इस राशि को श्रम विभाग में जमा न करवाकर नगर पंचायत निधि में ही रखा गया था।

उक्त उप पैरा संख्या: **(42.1)** से **(42.5)** में वर्णित अनियमितता के स्पष्टीकरण हेतु अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-41 दिनांक : 21/05/2024 द्वारा स्तिथि स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या : न.प.अ./2024-514 दिनांक 22/05//2024 द्वारा क्रम संख्या 2 से 5 का दिया गया उत्तर

संतोषजनक नहीं पाया गया अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाते हुए कृत कारवाही से आगामी अंकेक्षण के समय अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें !

43 संपत्ति कर निर्धारण में अनियमितता

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयन किये गए माह 05/2023 में संपत्तिकर से प्राप्त आय की पड़ताल करने पर पाया गया की नगर पंचायत द्वारा अधिसूचना संख्या: नगर पंचायत अर्की (प्रॉपर्टी टैक्सेशन) बाय लॉज़,2002 दिनांक 25/02/2022 की अनुपालना करते हुए संपत्ति कर का निर्धारण किया जा रहा था ,इस अधिसूचना के नियम 23 से 28 में संपत्ति कर की गणना से सम्बंधित विस्तृत विवरण दिया गया है तथा नगर पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में करदाता को कर निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र "फार्म -E" भी जारी किया गया है जिसके अंकेक्षण करने पर निम्न अनियमितताए पाई गई, जिस बारें स्थिति स्पष्ट की जानी सुनिश्चित की जाए !

कर निर्धारण प्रपत्र में दर्शाए गए भवन निर्मित क्षेत्र (constructed area) की प्रमाणिकता हेतु न तो भवन के पारित नक़्शे की प्रति सम्बंधित नास्ति में संलग्न पाई गई/अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई और न निर्धारित प्रपत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर पाए गए थे !

1. कर निर्धारण प्रपत्र को नगर पंचायत के सचिव व अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं पाया गया था !
2. मकान निर्माण की तिथि भी नहीं दर्शाई गई है जबकि उक्त अधिसूचना के नियम 24 में संपत्ति कर का निर्धारण संपत्ति की आयु के आधार अर्थात F3 (age factor and age) पर किये जाने हेतु अलग - अलग रेट दिए गए है!

उक्त अनियमितताओं से सम्बंधित कुछ नस्तियों का विवरण निम्नानुसार है

Sr. No.	Name and address of the property/house tax payer
1	Sh. Hari ram S/O Sh. Sawnu Ram ward No. 7
2	Sh. Som Prakash S/O Sh. Jai Kishan Ward No.7
3	Smt. Raj Gupta W/O Sh. Suraj Mani Gupta, Ward No. 7
4	Sh. Geeta Ram S/O Sh. Bajiru ram, Ward No. 7
5	Sh. Gopal Chand S/o Sh. Jagat Ram, Ward No. 7
6	Sh. Rakesh Kumar S/o Sh. Mehar Chand, Ward No. 7

7	Sh. Ambika Sharma W/o Sh. Vijay Sharma, Ward No. 7
8	Sh. Kamal Chand Kaushal S/o Sh. Varun Dutt, Ward No. 7
9	Sh. Devender Kalia S/o Smt. Parwati,SAKB Road, Ward No. 7
10	Smt. Ranjana kalia w/o devender Kalia SAKB Road, Ward No. 7

उपरोक्त वर्णित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना किये गए कर निर्धारण को न्यायोचित ठहराये जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-24 दिनांक : 15/05/2024 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों में भी समरूप कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए !

44 दुकान के किराये का निर्धारित समय अवधि में भुगतान न करने पर दुकानदारों से दंड शुल्क ₹986/- वसूली न करना : -

नगर पंचायत द्वारा आबंटित दुकानों के किराया सम्बन्धी आय की पड़ताल करने पर पाया गया की नगर पंचायत द्वारा दुकानदारों से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले किराया प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु अनुबध में शर्त लगाई गई है की यदि उनके द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले किराये का अग्रिम रूप से भुगतान नहीं किया गया तो सम्बंधित दुकानदार से 10% दंड ब्याज सहित किराया वसूला जाएगा किराया परन्तु निम्न किरायेदारों द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप न तो किराये का भुगतान किया गया और न ही नगर पंचायत द्वारा ऐसे दुकानदारों से दंड ब्याज की वसूली की गई थी विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह में पाए गए ऐसे दुकानदारों की सूची संलग्न परिशिष्ट-17 में दर्शाई गई है, जिस बारें स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 26 दिनांक :15 /05/2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था ! जिस बारे कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

45 विभिन्न संविदाकारों एवं दुकानदारों से प्राप्त प्रतिभूति की प्रविष्टि हेतु प्रतिभूति रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :

नगर पंचायत द्वारा आबंटित दुकानों के किराया सम्बन्धी आय की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दुकानदारों से अनुबंध की शर्तों के अनुसार ₹10000-10000 की प्रतिभूति भी प्राप्त की जा रही थी जिसे दुकानदारों को दूकान खाली करने पर वापिस किया जाना था।

अतः प्रतिभूति रजिस्टर, जिसमें दुकानदारों व अन्य किसी भी पक्ष को जिनसे प्रतिभूति राशि प्राप्त की गई हो या नगर पंचायत द्वारा प्रतिभूति राशि जमा की गई हो, जिसे नगर पंचायत द्वारा किसी संस्था से लिया जाना हो, से सम्बंधित प्रतिभूति रजिस्टर को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने कां आग्रह अंकेक्षण अधियाचना/ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/-27 दिनांक : 15/05/2024 द्वारा किया गया था ताकि प्रतिभूति राशि की लेनदारी व देनदारी के बारें में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके। कुछ किराया अनुबंधों की पड़ताल करने पर पाया गया की उनसे प्रतिभूति राशि तो प्राप्त की गई है परन्तु प्रतिभूति रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है !

Detail of refundable amount of Security received from the Shopkeepers to whom the shops have been allotted on monthly Rent basis

Sr. No.	Shop No.	Name	Amount of Security	Receipt No.	date
1	18/01	Sh. Amar Dev s/o Sh. Bohra Ram Arki	10,000/-	79/117	19/8/2021
2	21/04	Sh. Tek Chand	10,000/-	0001/0145	31/01/2023
3	43	Sh. Bhupinder Kishore	10,000/-	0092/149	31/05/2023

इसी प्रकार के अन्य मामलों की पड़ताल नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर की जाये तथा वस्तुस्तिथि से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने का अनुरोध किया गया है !

उक्त अंकेक्षण अधियाचना के प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या न.प.अ./2024 -486 दिनांक 21/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया की दुकानों/स्टालों से सम्बंधित प्रतिभूति रजिस्टर लगा दिया गया है जिसमे उपर वर्णित प्रतिभूति प्राप्ति से सम्बंधित प्रविष्टयों की जांच भी कर ली गई थी अन्य मामलों में भी समरूप कार्यवाही कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए !

46 **स्टोर/ स्टॉक वस्तुओं के लेखांकन बारे :-**

1. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 15 में नियम 238 (1 व 2) में दिए गए प्रावधानों में नगर पंचायत द्वारा खरीदे गए स्टोर/स्टॉक के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए स्टोर/स्टॉक का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक

अलग पन्ने पर किये जाने के साथ-साथ क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। नगर पंचायत द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है उनमें इसमें से अधिकतर नियमों की अनुपालना तो की गई है परन्तु स्थाई तथा अस्थाई स्टॉक का लेखांकन एक ही रजिस्टर में किया गया है।

2. इन त्रुटियों के सन्दर्भ में पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई है परन्तु नगर पंचायत द्वारा अभी तक अनुपालना हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है।

अतः उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करके कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

47 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

48 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं0 —0177—2620881

20 AUG 2024 का०/प्रति
5132 – 5134

पृष्ठांकन संख्या :— (V) 49/फिन (एल0ए0) खण्ड—5 दिनांक, शिमला—09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला—04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत :— 3 सचिव, नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

20 AUG 2024

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं0 —0177—2620881

का०/प्रति

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 में सम्मिलित गत अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/1967 से 01/1970

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/1970 से 03/1972

1	पैरा–4	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1972 से 03/1977

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1977 से 03/1981

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (ई)	अनिर्णीत

13	पैरा—14 (एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा—14 (एच)	अनिर्णीत
15	पैरा—14 (आई)	अनिर्णीत
16	पैरा—14 (जे)	अनिर्णीत
17	पैरा—15	अनिर्णीत
18	पैरा—16	अनिर्णीत
19	पैरा—17	अनिर्णीत
20	पैरा—21	अनिर्णीत
21	पैरा—23	अनिर्णीत
22	पैरा—25 (सी)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1982 से 03/1983

1	पैरा—9 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा—9 (सी)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1983 से 03/1987

1	पैरा—5 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा—9 (ए)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—8	अनिर्णीत
4	पैरा—9	अनिर्णीत
5	पैरा—13	अनिर्णीत
6	पैरा—16	अनिर्णीत
7	पैरा—17	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1989 से 03/1994

1	पैरा—5 (ii)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (iii) (जी)	अनिर्णीत
3	पैरा—6	अनिर्णीत

4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (i)	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (i) (के)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (i) (के,एच)	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (ii)(के)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (iii)(के)	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (iv)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (iv)(के)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (iv)(के, एच)	अनिर्णीत
15	पैरा–11 (iv) (जी)	अनिर्णीत
16	पैरा–11 (iv)(जी, एच)	अनिर्णीत
17	पैरा–11 (iv) (ए0एन0जी0)	अनिर्णीत
18	पैरा–11 (v)	अनिर्णीत
19	पैरा–11 (v)(के)	अनिर्णीत
20	पैरा–11 (v)(के,एच)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (v)(जी)	अनिर्णीत
22	पैरा–11 (v)(जी, एच)	अनिर्णीत
23	पैरा–11 (v)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
24	पैरा–11 (vi)(के)	अनिर्णीत
25	पैरा–11 (vi) (के,एच)	अनिर्णीत
26	पैरा–11 (vii)	अनिर्णीत
27	पैरा–11 (vii)(के)	अनिर्णीत
28	पैरा–11 (vii) (के, एच)	अनिर्णीत
29	पैरा–11 (vii)(जी)	अनिर्णीत
30	पैरा–11 (vii)(जी,एच)	अनिर्णीत

31	पैरा–11 (vii) (ए,एन,जी)	अनिर्णीत
32	पैरा–11 (viii)	अनिर्णीत
33	पैरा–11 (xi)	अनिर्णीत
34	पैरा–11 (x) (के)	अनिर्णीत
35	पैरा–11 (x) (के, एच)	अनिर्णीत
36	पैरा–11 (xii)	अनिर्णीत
37	पैरा–11 (xii)(के)	अनिर्णीत
38	पैरा–11 (xii) (के, एच)	अनिर्णीत
39	पैरा–11 (xii)(जी)	अनिर्णीत
40	पैरा–11 (xii)(जी, एच)	अनिर्णीत
41	पैरा–11 (xiii)(के)	अनिर्णीत
42	पैरा–11 (xiii) (के, एच)	अनिर्णीत
43	पैरा–11 (xiii)(जी)	अनिर्णीत
44	पैरा–11 (xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा–11 (xv)(के)	अनिर्णीत
46	पैरा–11 (xv)(के, एच)	अनिर्णीत
47	पैरा–11 (xv)(जी)	अनिर्णीत
48	पैरा–11 (xv) (जी,एच)	अनिर्णीत
49	पैरा–11 (xv) (ए0एन0जी)	अनिर्णीत
50	पैरा–11 (xv)(बी)	अनिर्णीत
51	पैरा–11 (xv)(बीी)	अनिर्णीत
52	पैरा–11 (xvi) (k)	अनिर्णीत
53	पैरा–11 (xvi) (kh)	अनिर्णीत
54	पैरा–11 (xvi) (g)	अनिर्णीत
55	पैरा–11 (xvii)	अनिर्णीत

56	पैरा–11 (xviii)	अनिर्णीत
57	पैरा–11 (xix)	अनिर्णीत
58	पैरा–11 (xx)	अनिर्णीत
59	पैरा–11 (xxi) (k)	अनिर्णीत
60	पैरा–11 (xxi) (kh)	अनिर्णीत
61	पैरा–11 (xxi) (g)	अनिर्णीत
62	पैरा–11 (xxi) (gh)	अनिर्णीत
63	पैरा–11 (xxi) (ahg)	अनिर्णीत
64	पैरा–11 (xxi) (ch)	अनिर्णीत
65	पैरा–11 (xxi) (chh)	अनिर्णीत
66	पैरा–11 (xxii) (k)	अनिर्णीत
67	पैरा–11 (xxii) (kh)	अनिर्णीत
68	पैरा–12 (i) (k)	अनिर्णीत
69	पैरा–12 (i) (kh)	अनिर्णीत
70	पैरा–12 (i) (g)	अनिर्णीत
71	पैरा–12 (ii)	अनिर्णीत
72	पैरा–12 (iii)	अनिर्णीत
73	पैरा–12 (iv)	अनिर्णीत
74	पैरा–12 (v)	अनिर्णीत
75	पैरा–12 (vi)	अनिर्णीत
76	पैरा–13	अनिर्णीत
77	पैरा–14	अनिर्णीत
78	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
79	पैरा–15 (iv)	अनिर्णीत
80	पैरा–15 (v)	अनिर्णीत

81	पैरा–15 (vi)	अनिर्णीत
82	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
83	पैरा–16 (iii)(k)	अनिर्णीत
84	पैरा–16 (iii)(kh)	अनिर्णीत
85	पैरा–16 (iii)(g)	अनिर्णीत
86	पैरा–17 (i)	अनिर्णीत
87	पैरा–17 (ii)(Kh)	अनिर्णीत
88	पैरा–18	अनिर्णीत
89	पैरा–18 (k)	अनिर्णीत
90	पैरा–18 (kh)	अनिर्णीत
91	पैरा–19	अनिर्णीत
92	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत
93	पैरा–20 (i) (k)	अनिर्णीत
94	पैरा–20 (i) (kh)	अनिर्णीत
95	पैरा–20 (ii) (g)	अनिर्णीत
96	पैरा–20 (iii)	अनिर्णीत
97	पैरा–20 (iv)	अनिर्णीत
98	पैरा–20 (v) (k)	अनिर्णीत
99	पैरा–20 (v) (kh)	अनिर्णीत
100	पैरा–20 (vi)	अनिर्णीत
101	पैरा–20 (vii) (k)	अनिर्णीत
102	पैरा–20 (viii)	अनिर्णीत
103	पैरा–20 (ix)	अनिर्णीत
104	पैरा–20 (ix) (k)	अनिर्णीत
105	पैरा–20 (ix) (kh)	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1997

1	पैरा 2	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
2	पैरा 3(ii)	अनिर्णीत	
3	पैरा 3(kh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
4	पैरा 4(kh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
5	पैरा 5(k)	अनिर्णीत	
6	पैरा 5(kh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
7	पैरा 5(g)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
8	पैरा 5(gh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
9	पैरा 5(ng)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5(ch)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
11	पैरा 5(chh)	अनिर्णीत	
12	पैरा 5(j)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
13	पैरा 5(jh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
14	पैरा 7(ch)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
15	पैरा 8(k)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
16	पैरा 8(kh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
17	पैरा 9	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
18	पैरा 10(kh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
19	पैरा 10(kh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
20	पैरा 10(kh)(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
21	पैरा 12	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
22	पैरा 13	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
23	पैरा 14	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित

24	पैरा 15(k)	अनिर्णीत	
25	पैरा 7(k)	अनिर्णीत	
26	पैरा 7(ng)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
27	पैरा 15(kh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
28	पैरा 15(kh)(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
29	पैरा 15(kh)(iv)	अनिर्णीत	
30	पैरा 15(kh)(v)	अनिर्णीत	
31	पैरा 15(kh)(vi)	अनिर्णीत	
32	पैरा 15(kh)(vii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
33	पैरा 16	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
34	पैरा 17(k)(i)	अनिर्णीत	
35	पैरा 17(k)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
36	पैरा 17(k)(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
37	पैरा 17(k)(iv)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
38	पैरा 17(kh)(i)	अनिर्णीत	
39	पैरा 17(kh)(ii)	अनिर्णीत	
40	पैरा 17(kh)(iii)	अनिर्णीत	
41	पैरा 17(kh)(iv)	अनिर्णीत	
42	पैरा 17(g)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
43	पैरा 17(g)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
44	पैरा 17(g)(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
45	पैरा 17(gh)(i)	अनिर्णीत	
46	पैरा 17(gh)(ii)	अनिर्णीत	
47	पैरा 17(gh)(iii)	अनिर्णीत	

48	पैरा 17(gh)(iv)	अनिर्णीत	
49	पैरा 17(ng)(i)	अनिर्णीत	
50	पैरा 17(ang)(ii)	अनिर्णीत	
51	पैरा 17(ng)(iii)	अनिर्णीत	
52	पैरा 17(ng)(iv)	अनिर्णीत	
53	पैरा 17(ng)(v)	अनिर्णीत	
54	पैरा 17(ng)(vi)	अनिर्णीत	
55	पैरा 17(ch)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
56	पैरा 17(ch)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
57	पैरा 17(ch)(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
58	पैरा 17(ch)(iv)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
59	पैरा 17(chh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
60	पैरा 17(chh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
61	पैरा 21(k)	अनिर्णीत	
62	पैरा 2(kh)	अनिर्णीत	
63	पैरा 21(g)	अनिर्णीत	
64	पैरा 21(gh)	अनिर्णीत	
65	पैरा 22	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
66	पैरा 24(kh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
67	पैरा 24(g)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
68	पैरा 24(j)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
69	पैरा 24(yen)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
70	पैरा 25	अनिर्णीत	
71	पैरा 26(iv)	अनिर्णीत	

72	पैरा 26(v)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
73	पैरा 26(vi)	अनिर्णीत	
74	पैरा 26(vii)	अनिर्णीत	
75	पैरा 26(viii)	अनिर्णीत	
76	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत	
77	पैरा 26(x)	अनिर्णीत	
78	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत	
79	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत	
80	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत	
81	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत	
82	पैरा 26(xvi)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
83	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत	
84	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत	
85	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत	
86	पैरा 26(x)	अनिर्णीत	
87	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत	
88	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत	
89	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत	
90	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत	
91	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत	
92	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत	
93	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत	

94	पैरा 26(xix)	अनिर्णीत	
95	पैरा 26(xx)	अनिर्णीत	
96	पैरा 26(xxi)	अनिर्णीत	
97	पैरा 26(xxiii)	अनिर्णीत	
98	पैरा 26(xxiv)	अनिर्णीत	
99	पैरा 28	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 1997 से 03 / 2005

1	पैरा 3(kh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
2	पैरा 3(gh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
3	पैरा 3(gh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
4	पैरा 7	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
5	पैरा 8(i)	अनिर्णीत	
6	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
9	पैरा 10(k)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10(kh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
11	पैरा 11(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
12	पैरा 11(k)	अनिर्णीत	
13	पैरा 11(kh)(i)	अनिर्णीत	
14	पैरा 11(kh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
15	पैरा 11(kh)(iii)	अनिर्णीत	
16	पैरा 11(kh)(iv)	अनिर्णीत	

17	पैरा 11(kh)(v)	अनिर्णीत	
18	पैरा 11(kh)(vi)	अनिर्णीत	
19	पैरा 11(kh)(vii)	अनिर्णीत	
20	पैरा 11(kh)(viii)	अनिर्णीत	
21	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत	
22	पैरा 11(kh)(x)	अनिर्णीत	
23	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत	
24	पैरा 11(kh)(xii)	अनिर्णीत	
25	पैरा 11(kh)(xiii)	अनिर्णीत	
26	पैरा 11(kh)(xiv)	अनिर्णीत	
27	पैरा 11(kh)(xv)	अनिर्णीत	
28	पैरा 11(kh)(xvi)	अनिर्णीत	
29	पैरा 11(kh)(xvii)	अनिर्णीत	
30	पैरा 11(kh)(xviii)	अनिर्णीत	
31	पैरा 11(kh)(xix)	अनिर्णीत	
32	पैरा 11(g)(i)	अनिर्णीत	
33	पैरा 11(g)(ii)	अनिर्णीत	
34	पैरा 11(chh)	अनिर्णीत	
35	पैरा 11(ng)	अनिर्णीत	
36	पैरा 11(ch)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
37	पैरा 12(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
38	पैरा 12(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
39	पैरा 13	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित

40	पैरा 14	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
41	पैरा 15	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
42	पैरा 16	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
43	पैरा 17	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
44	पैरा 18(k)	अनिर्णीत	
45	पैरा 18(kh)(i)	अनिर्णीत	
46	पैरा 18(kh)(ii)	अनिर्णीत	
47	पैरा 18(g)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
48	पैरा 18(g)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
49	पैरा 18(gh)(i) & (ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
50	पैरा 18(ng)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
51	पैरा 18(ch)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
52	पैरा 18(chh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
53	पैरा 18(chh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
54	पैरा 18(j)	अनिर्णीत	
55	पैरा 18(j)(i)	अनिर्णीत	
56	पैरा 18(nh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
57	पैरा 18(t)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
58	पैरा 18(t)(ii)	अनिर्णीत	
59	पैरा 18(th)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
60	पैरा 18(dh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
61	पैरा 18(dh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
62	पैरा 18(dh)(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
63	पैरा 18(adn)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
64	पैरा 18(dn)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित

65	पैरा 18(dn)(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
66	पैरा 18(nh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
67	पैरा 18(nh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
68	पैरा 18(t)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
69	पैरा 18(n)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
70	पैरा 18(p)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
71	पैरा 18(ph)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
72	पैरा 18(b)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
73	पैरा 19(kh)	अनिर्णीत	
74	पैरा 19(g)	अनिर्णीत	
75	पैरा 19(gh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
76	पैरा 19(gh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
77	पैरा 19(gh)(iii)	अनिर्णीत	
78	पैरा 19(ng)	अनिर्णीत	
79	पैरा 19(ch)	अनिर्णीत	
80	पैरा 19(chh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
81	पैरा 19(chh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
82	पैरा 19(chh)(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
83	पैरा 19(chh)(iv)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
84	पैरा 19(j)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
85	पैरा 19(j)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
86	पैरा 19(j)(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
87	पैरा 19(jh)	अनिर्णीत	
88	पैरा 19(jh)(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित

89	पैरा 19(jh)(iii)	अनिर्णीत	
90	पैरा 20(k)	अनिर्णीत	
91	पैरा 20(kh)	अनिर्णीत	
92	पैरा 20(g)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
93	पैरा 20(gh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
94	पैरा 20(ch)	अनिर्णीत	
95	पैरा 20(ch)(i)	अनिर्णीत	
96	पैरा 20(ch)(ii)	अनिर्णीत	
97	पैरा 20(ch)(iii)	अनिर्णीत	
98	पैरा 20(ch)(iv)	अनिर्णीत	
99	पैरा 20(ch)(v)	अनिर्णीत	
100	पैरा 20(ch)(vi)	अनिर्णीत	
101	पैरा 20(ch)(vii)	अनिर्णीत	
102	पैरा 21(i)	अनिर्णीत	
103	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत	
104	पैरा 22(kh)	अनिर्णीत	
105	पैरा 22(g)	अनिर्णीत	
106	पैरा 23(k)	अनिर्णीत	
107	पैरा 23(kh)	अनिर्णीत	
108	पैरा 23(g)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
109	पैरा 23(gh)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
110	पैरा 23(ch)(i)	अनिर्णीत	
111	पैरा 23(chh)	अनिर्णीत	

112	पैरा 23(j)	अनिर्णीत	
113	पैरा 23(jh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
114	पैरा 23(anh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
115	पैरा 23(t)	अनिर्णीत	
116	पैरा 24(k)	अनिर्णीत	
117	पैरा 24(kh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
118	पैरा 24(g)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
119	पैरा 25(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
120	पैरा 25(iii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
121	पैरा 26(k)	अनिर्णीत	
122	पैरा 26(kh)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
123	पैरा 26(g)	अनिर्णीत	
124	पैरा 26(gh)	अनिर्णीत	
125	पैरा 26(ng)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
126	पैरा 26(बी)	अनिर्णीत	
127	पैरा 26(बी)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
128	पैरा 27	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत	
2	पैरा 4(बी)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
3	पैरा 4(सी)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
4	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(डी)(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
6	पैरा 4(एफ)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
7	पैरा 4(जी)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित

8	पैरा 6(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
9	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6(iv)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
11	पैरा 6(vi)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
12	पैरा 6(X)(इ)	अनिर्णीत	
13	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	
14	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत	
15	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत	
16	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
17	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत	
18	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
19	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत	
20	पैरा 7(v)	अनिर्णीत	
21	पैरा 8(i)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
22	पैरा 8(ii)	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010

1	पैरा 4.3	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
2	पैरा 4.4	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
3	पैरा 4.5	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
4	पैरा 5	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
5	पैरा 6.2	अनिर्णीत	
6	पैरा 6.2.1	अनिर्णीत	
7	पैरा 6.2.2	अनिर्णीत	

8	पैरा 6.5	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
9	पैरा 7	अनिर्णीत	
10	पैरा 7.2 to 7.2.3	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
11	पैरा 7.3	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
12	पैरा 8.1	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
13	पैरा 8.3	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
14	पैरा 8.3.1	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
15	पैरा 8.3.2	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
16	पैरा 8.4	अनिर्णीत	
17	पैरा 8.5	अनिर्णीत	
18	पैरा 8.6	अनिर्णीत	
19	पैरा 8.7	अनिर्णीत	
20	पैरा 8.8	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
21	पैरा 8.9	अनिर्णीत	
22	पैरा 9	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
23	पैरा 9.3	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
24	पैरा 10	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2015

1	पैरा–5.2	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित
2	पैरा–15	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित

3	पैरा–19.3	अनिर्णीत		
4	पैरा–20	निर्णीत	निर्माण कार्य में आये विचलन की मात्रा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरान्त !	सम्बंधित दस्तावेज पत्र संख्याःएनपीए/2004-513 दिनांक22/05/2024 के साथ संलग्न !
5	पैरा–21	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
6	पैरा–22	निर्णीत	दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत !	सम्बंधित दस्तावेज पत्र संख्याःएनपीए/2004-513 दिनांक22/05/2024 के साथ संलग्न !
7	पैरा–24	निर्णीत	**लीड चार्ट अनुमोदन के उपरांत निर्णित !**	सम्बंधित दस्तावेज पत्र संख्याःएनपीए/2004-513 दिनांक22/05/2024 के साथ संलग्न !
8	पैरा–25	अनिर्णीत		
9	पैरा–26	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
10	पैरा–28	अनिर्णीत		
11	पैरा–30	अनिर्णीत		
12	पैरा–32	अनिर्णीत		
13	पैरा–33	अनिर्णीत		
14	पैरा–34	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
15	पैरा–35	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
16	पैरा–36	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
17	पैरा–37	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
18	पैरा–38	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
19	पैरा–40	अनिर्णीत		
20	पैरा–43	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

1	पैरा–14	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
2	पैरा–17	निर्णीत	दिए गए उत्तर के दृष्टिगत निर्णित !	सम्बंधित दस्तावेज पत्र संख्याःएनपीए/2004-513

				दिनांक22/05/2024 के साथ संलग्न !
3	पैरा–21	निर्णीत	**विविध शुल्क रु 1364/-की राशि जी 8 नम्बर 63/167 द्वारा दिनांक 22/05/2024 को जमा करवा दी गई है अतः पैरा समाप्त**	सम्बंधित दस्तावेज पत्र संख्या:एनपीए/2004-516 दिनांक 22/05/2024 के साथ संलग्न !

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

1	पैरा–10.6	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
2	पैरा–14	निर्णीत	पत्र संख्या फिन(एलए)एच (2)सी(15)(V)118/24 Vol-1-734 दिनांक 8/02/2024 द्वारा निर्णित	
3	पैरा–15	अनिर्णीत		
4	पैरा–20	निर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में ₹2.13 लाख के विचलन का अनियमित भुगतान।	सम्बंधित दस्तावेज पत्र संख्या: एनपीए/2004-513 दिनांक 22/05/2024 के साथ संलग्न !

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2022

1	पैरा–5.2	निर्णीत	₹268.48 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना	**पत्र संख्या : न.प.अ./2024-511 दिनांक 22/05/2024 द्वारा दिए गए उत्तर के दृष्टिगत निर्णित !**
2	पैरा–8.1	अनिर्णीत	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से ₹202290 का अनियमित व्यय करना।	
3	पैरा–8.2	निर्णीत	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में नगर पंचायत अंशदान जमा न करना।	**आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट किये जाने के दृष्टिगत !**
4	पैरा–9.1	अनिर्णीत	दुकानों के बकाया किराये की राशि के आरम्भिक शेष में ₹0.16 लाख का अन्तर	
5	पैरा–9.3	अनिर्णीत	दस वर्षो के उपरान्त भी न तो दुकान का बकाया किराया वसूल किया जाना और न ही दुकान खाली करवाई जाना	
6	पैरा–9.4	अनिर्णीत	दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹1.94 लाख के राजस्व की हानि	
7	पैरा–9.7	अनिर्णीत	**मूल आबंटियो द्वारा उप-पट्टे** (sublet) **पर दी गयी दुकानों का नगर पंचायत, अर्की द्वारा उप-पट्टेधारियों को ही**	

			अनियमित आबंटन
8	पैरा–10.4	अनिर्णीत	**घर-घर से कूड़ा उठाने के यूजर चार्जेज** (User Charges) **पर अनियमित छूट दिए जाने के कारण ₹0.02 लाख की हानि**
9	पैरा–11.2	अनिर्णीत	गृहकर की बकाया किराये की राशि के आरम्भिक शेष में ₹22.10 लाख का अन्तर
10	पैरा–17	अनिर्णीत	पार्किंग कम्पलैक्स का निर्माण योजना अनुसार उपयुक्त स्थान पर न करने के कारण पार्किंग निर्माण कार्यों पर ₹27.51 लाख का निष्फल व्यय
11	पैरा–19.1	अनिर्णीत	**श्री राम कर्ण, कनिष्ठ सहायक का गलत वेतन निर्धारण व् ACPS का अनियमित लाभ प्रदान करने के कारण दिए जा रहे वेतन की अदायगी गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 01.04.2017 से 31.03.2019 के पैरा संख्या 19.2 द्वारा आपत्ति उठाये जाने के पश्चात भी वर्तमान अंकेक्षण अवधि में भी ज़ारी रखे जाने के कारण कुल ₹0.31 लाख के वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान**
13	पैरा–19.2	अनिर्णीत	मास मार्च, 2022 के वाउचर द्वारा श्री राम कर्ण, कनिष्ठ सहायक को हि.प्र. वेतन संशोधन 2022 के अंतर्गत बकाया राशि की अधिक अदायगी
14	पैरा–20.1	अनिर्णीत	**दोहरी पैंशन आहरित कर रहे पैंशनभोगी को संभावित अनियमित अधिक भुगतान**
15	पैरा–20.2	अनिर्णीत	**श्रीमति निर्मला, पारिवारिक पैंशनर को वर्ष 2016 से महंगाई राहत** (Dearness Relief) **के बिना ही पारिवारिक पैंशन की अदायगी के कारण संभावित कम भुगतान**

16	पैरा–21.1	अनिर्णीत	**संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से** Royalty **की कटौती नहीं किये जाने के कारण सरकारी राजस्व को ₹2.61 लाख की हानि**
17	पैरा–21.2	अनिर्णीत	CC R/Wall B/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023

क्र.संख्या	पैरा संख्या	स्तिथि	ऑडिट पैरा निर्णित करने बारें विवरण	टिप्पणी यदि कोई हो
1	पैरा–1	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं	
2	पैरा–2	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं	
3	पैरा–3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की राशि रु 24,800/-पंजाब नेशनल बैंक के ड्राफ्ट संख्या : 257063 दिनांक 21/05/2024 द्वारा प्रेषित कर दी गई है !	
4	पैरा–4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त	
5	पैरा–5.1.1	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है	
6	पैरा–5.1.2	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है	
7	पैरा–5.1.3	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है	
8	पैरा–5.1.4	निर्णीत	रु 57000/-(42000+15000) की सुधारात्मक प्रविष्टि 12/09/2023 को रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 188 पर कर दी गई है !	
9	पैरा–5.1.5	निर्णीत	रु 66614/-(6250+60364) की सुधारात्मक प्रविष्टि 12/09/2023 को रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 188 पर कर दी गई है !	
10	पैरा–5.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त	
11	पैरा–5.3	निर्णीत	एकल नोडल बैंक खाते द्वारा संचालित अनुदानों की रोकड़ बही का अनुरक्षण कर दिया गया है	
12	पैरा–5.4	निर्णीत	अवधि 14/10/2022 से 31/03/2023 तक की रोकड़ बही सत्यापित कर दी गई हि	
13	पैरा–5.5.1	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है	
14	पैरा–5.5.2	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है	

15	पैरा–5.5.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
16	पैरा–6.1.1	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
17	पैरा–6.1.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
18	पैरा–6.1.3	अनिर्णीत	
19	पैरा–6.2.1	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
20	पैरा–6.2.2	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
21	पैरा–6.2.3	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
22	पैरा–6.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
23	पैरा–6.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
24	पैरा–7.1	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
25	पैरा–7.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
26	पैरा–8.1	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
27	पैरा–8.2	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
28	पैरा–8.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
29	पैरा–8.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
30	पैरा–9	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
31	पैरा–10.1.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
32	पैरा–10.1.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
33	पैरा–10.1.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
34	पैरा–10.2.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
35	पैरा–10.2.2	अनिर्णीत	
36	पैरा–10.2.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
37	पैरा–10.2.4	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
38	पैरा–10.2.5	अनिर्णीत	
39	पैरा–10.2.6	अनिर्णीत	
40	पैरा–10.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त

41	पैरा–10.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
42	पैरा–10.5	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
43	पैरा–10.6	निर्णीत	**रु 1300/- की राशि रसीद संख्या 58/167 के तहत नगर पंचायत निधि में दिनांक 22/05/2024 को जमा करवा दी गई है अतः पैरा समाप्त कर दया गया !**
44	पैरा–11.1	अनिर्णीत	
45	पैरा–11.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
46	पैरा–12	निर्णीत	कोई भी कार्यवाही वांछित नहीं है
47	पैरा–13	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
48	पैरा–14.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
49	पैरा–14.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
50	पैरा–14.3	अनिर्णीत	
51	पैरा–14.4	निर्णीत	रु 1367/- की राशि रसीद संख्या 57/167 के तहत नगर पंचायत निधि में दिनांक 22/05/2024 को जमा करवा दी गई है अतः पैरा समाप्त कर दया गया !
52	पैरा–15.1	अनिर्णीत	
53	पैरा–15.2	अनिर्णीत	
54	पैरा–15.3	अनिर्णीत	
55	पैरा–15.4	अनिर्णीत	
56	पैरा–16	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
57	पैरा–17	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त
58	पैरा–18	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने के उपरान्त

अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों का सार		
क्रम संख्या	विवरण	पैरों की संख्या
1	अवधि 03/2023 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	376
2	4/23 से 3/24 के दौरान लगाए गए पैर (+)	46
3	कुल	422
4	अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे (–)	55
5	शेष	367

पैरा 5.11 के अनुसार

Nagar Panchayat Arki Distt Solan HP							
Financial Position for the year 2023-24							
	Opening Balance	Income	Interest on Investments	Total (3+4)	Grand Total (2+5)	Expenditure	**Closing Balance (6-7)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Own Sources	₹ 1,29,56,694.97	₹ 45,20,746.30	₹ 9,44,531.00	₹ 54,65,277.30	₹ 1,84,21,972.27	₹ 72,69,957.20	**₹ 1,11,52,015.07**
Grant In Aid	₹ 1,60,46,034.44	₹ 1,73,56,956.00	₹ 0.00	₹ 1,73,56,956.00	₹ 3,34,02,990.44	₹ 1,70,29,680.38	**₹ 1,63,73,310.06**
Pension Fund	₹ 6,26,985.00	₹ 0.00	₹ 16,702.00	₹ 16,702.00	₹ 6,43,687.00	₹ 29,349.00	**₹ 6,14,338.00**
Total	**₹ 2,96,29,714.41**	**₹ 2,18,77,702.30**	**₹ 9,61,233.00**	**₹ 2,28,38,935.30**	**₹ 5,24,68,649.71**	**₹ 2,43,28,986.58**	**₹ 2,81,39,663.13**

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

78

परिशिष्ट - 3
(पैरा 5.1.2 के सन्दर्भ में)
(पैरा 13.1 के सन्दर्भ में)

Nagar Panchayat, Arki, District Solan

Detail of amount invested in FDRs as on 31/03/2024

Sr. No.	FD NO.	Name of Bank	Date of Investment	Amount	Period	Rate of Interest	Date of Maturity	Maturity Value
1	50300903853602	HDFC Bank Arki	28/12/2023	40,00,000/-	55 Months	7.20%	28/07/2028	55,47,231/-
2	50300911159597	HDFC Bank Arki	10/01/2024	30,00,000/-	55 months	7.20%	10/08/2028	41,60,420/-

Detail of amount invested in Sweep Account as on 31/03/2024

Sr. No.	Sweep Account No.	Name of Bank	Date of Investment	Amount
1	03920310167328	Uco Bank Arki	31/03/2024	51,00,000/-

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

परिशिष्ट - 4
(पैरा 5.1.2 के सन्दर्भ में)

क्रमांकःन0प0अ0 / 2024– 467
कार्यालय नगर पंचायत अर्की ।
जिला सोलन हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः अर्की 15|5|2024

विषयः– नगर पंचायत अर्की द्वारा संचालित / खोले गए विभिन्न बैंक खातों व सावधि जमा में निवेश की सुचना प्रस्तुत करने बारे।

विभिन्न बैंक खातों व उसमें जमा राशि का विवरण

Audit memo No. 2 Dated 1/05/2024

सावधि योजना में जमा राशि का विवरण

क्रम संख्या	बैंक का नाम / पता	खाता संख्या	दिनांक 31.3.2024 को खाते में जमा शेष
1	जोगिन्द्रा बैंक / पैंशन फण्ड	100134001003752	614,338.00
2	जोगिन्द्रा / बैंक विधि	100134001004625	57,666.00
3	यूको बैंक / जनरल	03920100009843	27,469.77
4	पंजाब नेशनल बैंक / स्वच्छ भारत मिशन	6518000100042551	5,909.00
5	पंजाब नेशनल बैंक / पी0एम0ए0वाई0(एच0एफ0ए0)	6518000100045752	2,020.00
6	आई सी0 सी0 बैंक / सम्पतिकर	367201000548	46,883.00
7	पंजाब नेशनल बैंक / पार्किंग	6518000100046353	5,479,978.00
8	पंजाब नेशनल बैंक / पार्क	6518000100046362	90,749.00
9	पंजाब नेशनल बैंक / जनरल	6518000100012763	4,957,913.34
10	एस0 बी0 आई0 बैंक / अटल श्रेष्ठ योजना	55136118262	535,888.62
11	एच0डी0एफ0सी0 बैंक / भवन निर्माण	50100228105010	363,307.55
12	डाकघर	239333	1,523.50
13	पंजाब नेशनल बैंक / एम एम एस ए जी वाई	6518000100049450	494,915.00
14	पंजाब नेशनल बैंक / सी एफ सी	6518000100046487	3,361,091.00

क्रम संख्या	बैंक का नाम / पता	सवधि जमा खाता संख्या	दिनांक 31.3.2024 को सावधि योजना खाते में जमा शेष
1	यूको बैंक / स्वीप ट्रांसफर अर्की	03920100009843	**51,00,000 – 00**
2	एच0डी0एफ0सी0 बैंक / अर्की	50300903853602	**40,00,000 – 00**
3	एच0डी0एफ0सी0 बैंक / अर्की	50300911159597	**30,00,000 – 00**

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

80

(पैरा 5.1.3 के सन्दर्भ में)

	Nagar Panchayat Arki Distt Solan HP		
	Reconciliation of cash book/bank balances and financial position balances as on 31-03-2024		
	Particulars		*Balance*
1	**Balance as per Financial position and Cash Book as on 31-03-2024**		**₹ 2,81,39,663.13**
2	Detail of funds available in bank accounts and FDRs as on 31-03-2024:-		
4	Punjab National Bank Arki 6518000100012763	₹ 49,57,913.34	
5	Punjab National Bank Arki 6518000100046487	₹ 33,61,091.35	
6	Punjab National Bank Arki 6518000100042551	₹ 5,909.00	
7	Punjab National Bank Arki 6518000100045752	₹ 2,020.00	
8	Punjab National Bank Arki 6518000100046353	₹ 54,79,978.00	
9	Punjab National Bank Arki 6518000100046362	₹ 90,749.00	
10	Punjab National Bank Arki 6518000100049457	₹ 4,94,915.00	
11	ICICI Bank Darlaghat 367201000548	₹ 46,883.00	
12	Jogindra Central Coop Bank Arki 100134001003752	₹ 6,14,338.00	
13	Jogindra Central Coop Bank Arki 100134001004625	₹ 57,666.00	
14	UCO Bank Arki 03920100009843	₹ 27,469.77	
15	SBI Arki 55136118262	₹ 5,35,888.62	
16	HDFC Kunihar 50100228105010	₹ 3,63,307.55	
17	Post Office Arki 239333	₹ 1,523.50	
18	**Amount invested in sweep A/C in UCO Bank Arki A/C No. 03920310167328**	**₹ 51,00,000.00**	
19	**Amount Invested inHDFC Bank FDR NO. 50300911159597**	**₹ 30,00,000.00**	
20	**Amount Invested inHDFC Bank FDR NO. 50300903853602**	**₹ 40,00,000.00**	
21	**Total For SB and FDR Accounts balance as on 31-03-2024**		**₹ 2,81,39,652.13**
22	**Difference**		**₹ 11.00**
23	**Less:** Amount deposited vide Receipt NO.G-8 93/157 and G-8 94/157 for Rs. 899/- (146+753)in bank A/C No. 6518000100012763,PNB,Arki but credited by the bank Rs. 889/- only on 19/03/2024. However the Balance amount of Rs. 10/- has been credited by the bank on 2/04/2024	10	
24	**Less:** Rs.1/- as opening balance has been taken in Cash Book as on 1/04/2023 Rs.2,96,29,713.41 in stead of Rs. 2,96,29,714.41	1	₹ 11.00
25	**Difference after reconciliation of above entries**		**₹ 0.00**

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

81

77

परिशिष्ट-6
(११ पैरा 8 के सन्दर्भ में)

Nagar Panchayat Arki Distt. Solan H.P.
Financial Position of Pension & Gratuity Fund as on 31-.3-2024

Opening Balance	Contribution Deposited During the year	Interest	Total	Payment during the year	Closing Balance As on 31.03.2024
1	2	3	4	5	6
629985	-	16702	643687	29349	614338

As per Bank Account No . 100134001003752

Closing Balance as per Financial Position = 614338.00

Closing Balance as per Financial Position as on 31.03.2024 = 614338.00

Difference = **Nil**

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan H.P.

82

परिशिष्ट-7
(पैरा 11 के सन्दर्भ में)

Nagar Panchayat Arki, Distt Solan, Himachal Pradesh										
Yearwise details of Grants In Aid received during the period 4/2023 to 3/2024										
Sr	Head	Sanctioning Authority	Letter number and Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Expenditure during the year	Closing Balance	UC Letter no. & date
1	5th/6th State Finance Commission	Director UD	Letter number UD-H© (10)-1/2023-SFC Award-Loose-13931-13993 Dated 31/07/2023	Salary/wages gap funding, sanitation services, payment of honorarium to elected representatives. Any infrastucture work.	₹ 0	₹ 61,99,296	₹ 61,99,296	₹ 61,99,296	₹ 0	
2	14th/15th Finance Commission/ CFC	Director UD	Letter number UD-H© (10)-1/2020 -I-CFC Release-2420-2490 Dated10/05/2023, Letter No. UD-H© (10)-1/2020 -I-CFC Release-2491-2561 Dated10/05/2023, Letter number UD-H© (10)-1/2020 -II-4895-4956 Dated13/03/2024and Letter number UD-H© (10)-1/2020 -II-4957-5018 Dated 13/03/2024	Urban planing inculuding town planing, meet expenditure of maintenance of sanitation in the town,Fire services,Planning for economic and social development	₹ 45,26,811	₹ 57,23,424	₹ 1,02,50,235	₹ 75,57,306	₹ 26,92,929	
3	R/M of ULB Path	Director UD	`-None-	Maintenance of ULB roads, completion of incomplete infrastusctural schemes etc.	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	
4	Calamity Relief Fund (CRF)	Director UD	`-None-		₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	
5	Vehicle Parking	Director UD	Online payment received Rs.60,00,000/- from Director Urban Development, Shimla on dated 29/07/2021	For the construction of new Parking	₹ 40,85,358	₹ 0	₹ 40,85,358	₹ 12,57,996	₹ 28,27,362	
6	MP LAD	DC Solan	Received Payment 1. 25000/- vide letter no. PLG-SLN(F)5-21/2022-VKVNY-Arki-477-479 Dated 30/06/22, 2.350000/- vide letter no. PLG-SLN(F)5-21/2021-VKVNY-Arki-474-76 Dated 30/06/22,3.100000/- vide letter no. PLG-SLN(F)5-1/2022-VKVNY-Arki-714-15 Dated 10/08/22	Repair & Maintenance of ULB roads, paths and other development projects	₹ 7,43,119	₹ 0	₹ 7,43,119	₹ 0	₹ 7,43,119	
7	NULM	Director UD	online grant received on dated 4/04/2023 & on 22/03/2024		₹ 0	₹ 38,648	₹ 38,648	₹ 38,648	₹ 0	
8	SBM/ICE	Director UD	online payment received during the month of 05/2023 and 10/2023		₹ 0	₹ 3,99,673	₹ 3,99,673	₹ 3,99,673	₹ 0	
9	PMAY	Director UD	online payment received during the month of 04/2023 and 12/2023		₹ 0	₹ 7,25,000	₹ 7,25,000	₹ 7,25,000	₹ 0	
10	SWM	Director UD	`-None-		₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	
11	NDRF	Director UD	`-None-		₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	
12	Disaster Management	Director UD	`-None-		₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	
13	DC Solan	DC Solan	letter numberPLG/27-30/NDRF/2017/-3165-3167 Date29/12/2023 for Rs. 1,50,000/- and Letter No. PLG/SLN/27-30/NDRF-BUDGET-2023-24-4087 dated 12/04/2024 however the amount of granti.e. Rs.9,50,000/- already stands transferred to UCO bank Arki through treasury Bill No. 100337 dated 16/03/2024 and credited to bank acconut on 22/03/2024.	Repair & Maintenance of ULB roads, paths and other development projects	₹ 16,90,746	₹ 11,00,000	₹ 27,90,746	₹ 5,36,436	₹ 22,54,310	
14	DUD Grant	Director UD	letter number UD-H(F)(7)-1/2019-NUS-II-6544-6577 Dated 30/03/2024,Letter No. UD-H(F)-Raindamage-Engg.cell/2013-6498-6519 dated 30/03/2024,Letter No. UD-h© (10)-1/2020-I-CFC Release-1532-93 dated 3/05/2023,Letter No. UD-h© (10)-1/2020-I-CFC Release-1594-1655 dated 3/05/2023 and letter No. UD-H(F) (I)-1/2016(PWM RULES)-III-1449-1456 dated 3/05/2023		₹ 0	₹ 26,00,340	₹ 26,00,340	₹ 0	₹ 26,00,340	
15	Atal Shreshth Shehar Yojna (ASSY)	Director UD	ReceivedOnline Payment dated 07-09-2022 at CBP 97 7500000/-	Swachh Survekshan,Public Service Delivery, Increase the Income,Fund Utilisation ,Public Infrastructure, Audit Para settlement and audited account	₹ 50,00,000	₹ 0	₹ 50,00,000	₹ 0	₹ 50,00,000	
16	Mukhya Mantri Shehari Ajeevika Guarantee Yojna (MMSAGY)	Director UD	Letter No. UD-H(F)Misc-MMSAGY-III-21817-832 dated 6/11/2023 and Letter No. UD-H(F)Misc-MMSAGY-III-21853-861 dated 6/11/2023	Rain water harvesting structure ,Repair & maintenance of water sources, Sanitation work of Municipality,Beautigication of public places,Mainenance of Municipal Roads	₹ 0	₹ 5,70,575	₹ 5,70,575	₹ 3,15,325	₹ 2,55,250	
					₹ 0	₹ 0	₹ 0			
			Grand Total For the year 2023-24		**₹ 1,60,46,034**	**₹ 1,73,56,956**	**₹ 3,34,02,990**	**₹ 1,70,29,680**	**₹ 1,63,73,310**	

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

NAGAR PANCHAYAT ARKI, DISTT. SOLAN H.P.

Statement of Outstanding Amount of House Tax as on 31.03.2024

Year	Opening Balance	Demand	Total Demand	Collection	Closing Balance
2023-24	4089239	Online survey of property tax is under process and demand for the Year 2023-24 has not been raised yet. Notification No. STE-D(2)-2/2021 dated 30.07.2022 attached.	4089239	1651854	2437385

84

परिशिष्ट- 8.2
पैरा संख्या 161 में सन्दर्भित

List of Property Tax Tehsildar Recovery Solan from 1/9/1997 To 31/3/2008 Updated upto 5/2024

Sr. No.	Name	Father/Husband Name	Ward No.	Total Demand	Diposit	Balance
1	Sh. Daya Ram	Sh. Gosaun Ram	1	3833	0	3833
2	Sh. Jeet Ram	Sh. Mast Ram	1	8505	0	8505
3	Sh. Shiv Ram	Sh. Ghanu Ram	1	6930	3000	3930
4	Sh. Kameshwar Sharma	Sh. Paras Ram	1	1733	0	1733
5	Sh. Geeta Ram		1	8505	0	8505
6	Sh. Nathu Ram	Sh. Chhangu Ram	1	6405	0	6405
7	Sh. Jagdish Chand	Sh. Chet Ram	1	3833	0	3833
8	Sh. Baldev Gupta	Sh. Shiv Lal	1	17010	0	17010
9	Sh. Dina Nath	Sh. Jaybalav	1	8505	0	8505
10	Sh, Jay Ram	Sh. Dhundar	1	1838	0	1838
11	Smt. Paravati Devi	Sh. Pyare Lal	1	9975	9713	262
12	Sh. Babu Ram	Sh. Dhundar	1	420	0	420
13	Sh. Rajeshwar Singh	Sh. R.N. Singh	1	6300	0	6300
12	Smt. Paravati Devi	Sh. Pyare Lal	1	1733	0	1733
14	Smt. Paravati Devi	Sh. Pyare Lal	1	14490	1000	13490
15	Sh. Upender Gupta	Sh. Mathura Dass	1	11918	0	11918
16	Sh. Lalit Kumar	Sh. Jivan Singh	1	11918	0	11918
17	Sh. Prakash Chand	C/o Kamal Trador	1	17010	0	17010
18	Sh. Dharam, Pal	Sh. Kedaru Ram	1	21893	1093	20800
19	Sh. Mathura Dass	Sh. Devi Dass	1	630	0	630
20	Sh. Sohan Lal	Sh. Hiru Ram	1	12758	0	12758
21	Sh. Shankar Lal	Sh. Paras Ram	1	22575	0	22575
22	Sh. Krishan Chand		1	21683	0	21683
22	Sh. Devi Roop	Sh. Tulsi Ram	2	6405	0	6405
23	Sh. Sant Ram	Sh. Narayanu	2	3413	0	3413
24	Sh. Vidya Devi	Sh. Shiv Lal	2	8505	0	8505
25	Sh. Mehar Chand	Sh. Durga Dutt	2	20430	0	20430
26	Smt. Krishna Devi	Sh. Vidhi Chand	2	17010	0	17010
28	Sh. Hari Ram Verma	Sh. Dhani Ram	2	7665	0	7665
29	Smt. Kamla	Sh. Nek Ram	2	21263	0	21263
30	Smt. Jayvanti	Sh. Bali Ram	2	9450	0	9450
31	sh.Rajinder & NandLal	Sh. Chandu Ram&Shiv Ram	2	29778	26325	3453
32	Sh. Prem Singh	Sh. Devi Ram	2	13650	7000	6650
33	Sh. Khajana Ram	Sh. Khyali Ram	2	2205	0	2205
34	Sh. Lala Ram	Sh. Dhanu Ram	2	4253	0	4253
35	Sh. Sant Ram	Sh. Daulat Ram	2	8505	4000	4505
36	Sh. Sukh Dev	Sh. Abhi Ram	2	8820	0	8820
37	Sh. Nand Lal	Sh. Het Ram	2	8820	0	8820
38	Sh. Ram Lal	Sh. Kanhayiya Ram	3	23835	0	23835
39	Smt. Satya Devi	Sh. Med Ram	3	11078	0	11078
40	Sh. Jafer Ali	Sh.Amir Ali	3	24255	2000	22255
41	Smt. Rajni Kanta	Sh. Saligram	3	1733	0	1733
42	Dr. Sant Lal	Sh. Paras Ram	3	2228	0	2228
43	Sh. Mehar Chand	Sh. Sohuu	3	1733	0	1733
44	Sh. Bali Ram Gautam	Sh. Ram Baksh	3	1733	0	1733
45	Smt. Vinay Gautam	Sh. P.D. Sharma	3	6825	0	6825
46	Sh.Chimna Ram	Sh. Dhani Ram	3	10238	8870	1368
46	Sh. Parmanand	Sh. Nathu Ram	3	17850	2000	15850
47	Sh. Hariram	Sh. Bal Krishan	3	18745	10000	8745
48	Sh. Ved Prakash	Sh. Laxman Dass	4	2625	0	2625

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

परिशिष्ट 8.2

49	Sh. Kulbhushan	Sh. Phillu	4	1625	0	1625
50	Sh. Rahim Baksh	Sh. Budhia	4	5250	2625	2625
51	Sh. Gyan Chand	Sh. Hari Ram	4	5250	3750	1500
52	Sh. Mast Ram	Sh. Bidumal	4	3045	0	3045
53	Sh. Om Prakash	Sh. Bhagat Ram	4	5145	0	5145
54	Krishna CO-OP		4	22155	14555	7600
55	Sh. Brij Bhushan	Sh. Bhagat Ram	4	12758	4500	8258
56	Sh. Prem Chand	Sh. Bhagat Ram	4	8505	0	8505
57	Sh. Prakash Chand	Sh. Chet Ram	4	18743	0	18743
58	Sh. Mukand Balav	Sh. Durga Dass	4	11498	11000	498
59	Sh. Mahender Prakash	Sh. Basant Lal	4	7665	2000	5665
60	Smt. Raj Kumari	Sh. Pritam Chadda	4	4253	0	4253
61	Sh. Damodar	Sh. Dhania	4	5513	3676	1837
62	Mehar Chand	Mansa Ram	4	12758	10758	2000
63	Sh. Bishan Lal	Sh. Balak Ram	4	9345	1345	8000
64	Sh. Gopal Chand	Sh. Badri Dutt	5	1050	0	1050
65	Sh. Kulraj Kishor	Sh. Govind Ram	5	12758	4500	8258
66	Sh. Bhuvneshwar	Sh. Sohan Lal	5	5145	0	5145
67	Sh. Kishori Lal	Sh. Budhi Ram	5	3833	0	3833
68	Sh. Ranvir Gupta	Sh. Madhusudan	5	6825	0	6825
69	Kumari Narvada Gupta	Sh. Hem Chand	5	4253	0	4253
70	Sh. Anwar Ali	Sh. Madan Baksh	5	2100	0	2100
71	Sh. Ram Krishan	Sh. Hem Chand	5	5145	1000	4145
72	Sh. Rajesh Gupta	Sh. Bhagat Ram	5	6825	0	6825
73	Sh. Harish Chand	Sh. Paras Ram	5	2625	0	2625
74	Sh. Hari Ram Vyas	Sh. Mathura Dass	5	2835	0	2835
75	Smt. Kaushlya	Sh. Roop Lal	6	1733	1000	733
76	Sh. Ramesh Gupta	Sh. Ganga Ram	6	2153	1000	1153
77	Smt. Kamla	Sh. Parmanand	6	2625	500	2125
78	Sh. Hari Om	Sh. Bangu Mal	6	1050	0	1050
79	Sh. Ravinder Kumar	Sh. Prem Lal	6	4253	2000	2253
80	Sh. Mahender Gupta	Sh. Bali Ram	6	4253	0	4253
81	Smt. Mansi Devi	Babu Ram	6	1995	1696	299
82	Sh. Mahender Prakash	Sh. Basant Lal	6	55808	43000	12808
83	Sh. Ram Chand	Sh. Hem Chand	6	200550	48000	152550
84	Sh. Kulbhushan	Sh. Fillu Ram	6	1470	0	1470
85	Smt. Amra Shamra	Sh. Nikdu Ram	6	1733	0	1733
86	Sh. Ashok Soni	Sh. Hari Chand	7	8085	5000	3085
87	Sh. Harish Chand	Sh. Nathu Mal	7	9398	0	9398
88	Sh. Ram Lal	Sh. Sunder Lal	7	12968	100	12868
89	Sh.Bhagat Ram	Sh.Durga Singh	7	19163	5163	14000
90	Sh. Narpat Ram	Sh. Jadu Ram	7	630	0	630
91	Smt. Veena Bansal	Sh. Hukum Singh	7	11498	0	11498
92	Sh. Pritam Chadda	Sh. Amar Nath	7	10238	0	10238
93	Sh. Rajender Gupta	Sh. Hukum Chand	7	2100	0	2100
94	Sh. Jiya Lal	Sh. Balak Ram	7	578	0	578
95	Sh. Sattpal		7	2924	0	2924
	Total:-			1055557	242169	813388

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

86

-82-

पैरा सं. 16.1 से सम्बंधित

List of House Tax Tehsildar Recovery Solan from 1/4/2008 To 31/3/2018 Updated Upto 5/2024

ALR 4/2008 To 3/2018

Sr. No.	Name	Father/Husband Name	Ward No.	Total Demand	Diposit	Balance
1	Sh. Sudama Ram	Sh. Chaudhari Ram	1	8910	6000	2910
2	Sh. Khem Chand	Sh. Devi Ram	1	7810	0	7810
3	Sh. Subhash Chand	Sh. Jivnu Ram	1	7425	1000	6425
4	Smt. Parvati Devi	Sh. Pyare Lal	1	23100	2000	21100
5	Sh. Amar Nath Sharma	Sh. Ram Lal	1	31185	0	31185
6	Smt. Salochana	Sh. Krishan Chand	1	34474	0	34474
7	Kanwar Nagender Singh	Raja Rajender Singh	1	39218	39218	0
9	Sh. Nand Lal Verma	Sh. Navlesh	2	1337	0	1337
10	Smt. Vimla Devi	Sh. Khajana Ram	2	2156	0	2156
11	Sh. Chetram Chauhan	Sh. Gorkhu Ram	3	13365	5000	8365
12	Sh. Mahender Gupta	Sh. Basant Lal	4	14707	0	14707
13	Sh. Naresh Kumar Sood	Sh. Amar Chand	4	1403	0	1403
14	Sh. Mahender Gupta	Sh. Basant Lal	4	13959	0	13959
15	Sh. Anil Khan	Sh. Rahim Baksh	4	7128	7128	0
16	Sh. Sanjay Gupta	Sh. Mast Ram	4	5346	0	5346
17	Sh. Arun Sharma	Sh. Anand Prakash	4	1782	0	1782
18	Smt. Amri Devi	Sh. Ram Ji Dass	4	1337	1337	0
19	Sh. Sunil Kumar Bhardwaj	Sh. Dhani Ram	5	535	0	535
20	Sh. Ram Chand Gupta	Sh. Hem Chand Gupta	6	276485	0	276485
21	Sh. Mahender Gupta	Sh. Basant Lal	6	54698	0	54698
22	Sh. Sunil Kumar Bhardwaj	Sh. Dhani Ram	6	4544	0	4544
23	Sh. Madho Ram	Sh. Geeta Ram	7	1337	0	1337
24	Sh. Dev Raj Pathak	Sh. Mehar Chand	7	19718	0	19718
25	Sh. Sant Ram	Sh. Shiv Lal	7	3355	0	3355
26	Sh. Mohan Lal Sharma	Sh. Kanshi Ram	7	14236	5000	9236
27	Sh. Ram Lal Sharma	Sh. Sunder Ram	7	3253	0	3253
28	Sh. Saleem Mohamad	Sh. Rahim Baksh	7	4092	0	4092
29	Sh. Krishan Chand	Sh. Brij Lal	7	21384	0	21384
	Total			618279	66683	551596

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

87

पैरा सं. 16.3 में सन्दर्भित

Nagar Panchayat Arki,Distt. Solan (HP)

Statement of outstanding amount of Property Tax to be realized as on 31.3.2024

Name of property	Opening Balance	Demand	Total Demand	Collection	Closing Balance
Hotel Palce View	159000—00	37500—00	196500—00	33750—00	159000—00
Rest House PWD	शून्य	2787—00	2787—00	2508—00	शून्य

Note:-1:- Demand in farovr at Hotel Place View raised for Rs. 37500/- for the financial year and paid by him with in 15 days from the date of issued and hence rebate at Rs.3750/-allowed to him and therefore closing balance stands Rs.1,59,000/-.

Note:-2:-Demand raised for Rs.2787/-from PWD and Tax Paid by then within 15 days from the issue at bill Hence Rs.2508/-received and Balance shown Nil.

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

88

परिशिष्ट -10
पैरा 17.1 में सन्दर्भित

Statement of outstanding Amount Balance of Shop Rent as on 31.3.2024.

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Closing Balance
2023-24	188437	491661	680098	548126	131972

Secretary
Nagar Panchayat

89

परिशिष्ट – 11
पैरा 18 से सम्बंधित

Nagar Panchayat Arki Distt. Solan H.P.

Statement of Outstanding Mobile Tower Installation/Renewal fee as on 31.03.2024

Name of Mobile Tower Company	Year of Installation	Opening Balance	Demand for the Year 2023-24	Realized during the Year	Closing Balance as on 31.03.2024
1	2	3	4	5	6
Airtel	2006-07	37500	Nil	Nil	37500

Note:- The renewal fee of Mobile Tower installed on private land property has been waived off vide Right of Way policy notified vide notification No. IT(F)1-1/2020 dated 9.2.2021 vide which it has been stated that the renewal fee/charges are not applicable from the year 2022-23 hence demand from the Airtel Company is not due from 2022-23 onward and accordingly Outstanding amount to be recovered stands as Rs. 37500/- as on 01.04.2023 as well as on 31.03.2024.

Secretary
Nagar Panchayat Arki
Distt. Solan, H.P.

90

परिशिष्ट-12
पैरा-19 में सन्दर्भित

NAGAR PANCHAYAT ARKI, DISTT. SOLAN H.P.

Statement of Outstanding Amount of Door to Door Collection Charges as on 31.03.2024

Year	Opening Balance	Demand	Total Demand	Collection	Closing Balance
2023-24	524952	821243	1346195	921972	424223

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

91

पत्रांक -13
पैरा 31 में सन्दर्भित

Nagar Panchayat Arki Distt. Solan H.P.
Statement of GPF Bank A/c as on 31-3-2024

Sr. No.	Name of Employee	Designation	A/c No.	Balance as on 31.03.2024
1.	Smt. Vidya Devi	Clerk	100134001000124	1051686
2.	Sh. Neem Chand	Beldar	100134001006242	230003
3.	Sh. Mast Ram	Beldar	100134001001899	479183
4.	Sh. Rati Ram	Beldar	100134001000991	681726
5.	Sh. Rajender Kumar	Safai Karamchari	100134001003673	186875.66

26,29,474.66

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan H.P.

92

पैरा 3/ से सम्बंधित

Nagar Panchayat Arki Distt. Solan H.P.
Statement of CPF Bank A/c as on 31-3-2024

Sr. No.	Name of Employee	Designation	A/c No.	Balance as on 31.03.2024
1.	Sh. Ajay Garg	Secretary	100134002100408	2037064
2.	Sh. Abhinav Sharma	Secretary	100134011100012	30134
3.	Sh. Susheel Kumar	Junior Engineer	100134001100423	1009259.50
4.	Sh. Ram Karan Verma	Junior Assistant	100134001100117	242008
5.	Laxmi Kumari	Clerk	100134001100612	738261
6.	Smt. Sarita Devi	Peon	100134029100031	333286
7.	Sh. Ramesh Chand	Beldar	100134001006488	640316
8.	Sh. Suresh	Safai Karamchari	100134001003051	706504
				57,36,833.50

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

93

परिशिष्ट - 15
पैरा - 34 में सन्दर्भित

Nagar Panchayat Arki				
Statement of amount Expediture under MMSAGY During the Year 2023-24				
S.R.	Dated	Cash Book Page No.	Month	Amount
1	03.04.2023	140	4/2023	95550
2.	-	-	5/2023	-
3.	07.06.2023	164	6/2023	41650
4.	05.07.2023	174	7/2023	45750
5.	01.08.2023	180	8/2023	46500
6.	-	-	9/2023	-
7.	-	-	10/2023	-
8.	-	-	11/2023	-
9.	01.12.2023	8	12/2023	12375
10.	04.01.2024	12	01/2024	12750
11.	06.02.2024	18	02/2024	48375
12	05.03.2024	22	03/2024	12375
				Total-315325/-

Secretary
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan, H.P.

परिशिष्ट – 16
पैरा संख्या : 36 में सन्दर्भित

अं.अधि./ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 21 दिनांक : 15 /05/2024 के क्रम में जारी

Statement showing the late deposit of cash collected on account of Door to Door garbage collection Charges

Sr. No.	Receipt No. against which amt. collected by the SHG	**Date of collection**		**Amount of collection**	Receipt No. against which amt. deposited in NP	**Date of deposit in NP/Bank account**	Cash book page No.
		From	**To**				
1	22801 - 22840	**24/04/2023**	**27/04/2023**	**24300**	0042/0149	**10/05/2023**	148
2	22401- 22436	**4/04/2023**	**10/05/2023**	**21811**	56/149	**16/05/2023**	150
3	21184-21200	**26/04/2023**	**21/05/2023**	**9515**	62/149	**17/05/2023**	150
4	23201-23266	**2/05/2023**	**16/05/2023**	**14977**	63/149	**17/05/2023**	150
5	016768-016800	**26/04/2023**	**1/05/2023**	**16920**	64/149	**17/05/2023**	150
6	23601-23614	**2/05/2023**	**10/05/2023**	**4090**	65/149	**17/05/2023**	150
7	21375-21491	**24/04/2023**	**10/05/2023**	**47035**	66/149	**17/05/2023**	150
8	22841-22876	**27/04/2023**	**28/04/2023**	**21046**	72/149	**20/05/2023**	152
9	22284-22400	**28/04/2023**	**24/05/2023**	**35880**	79/149	**25/05/2023**	156
10	22877-22900	**28/04/2023**	**28/04/2023**	**21690**	89/149	**31/05/2023**	160

पैरा संख्या 44 में सन्दर्भित

अं.अधि./ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 26 दिनांक : 15 /05/2024 के क्रम में जारी

Statement showing the late payment of Rent by the shopkeepers in violation of the condition of the Agreement

Sr. No.	Namo of the Shopkeeper	Shop No.	Rent P.M. with GST	Rent Month	Paid on dated	Receipt No.	Penalty amount which has not been recovered
1	S/Sh. Dev Raj	19/2	1180	4/2023	11/04/23	32/147	118
				06/2023	7/07/2023	10/156	118
2	Tek Chand	21/4	1900	09/2023	11/09/2023	84/158	190
3	Dharam Pal Kashyap	22/5	514	04/2023	6/05/2023	94/146	51
4	Smt. Bohru Devi	23/6	500	04/2023	17/04/2023	54/147	50
5	Vijay Singh	24/7	514	07/2023	11/07/2023	26/156	51
				09/2023	11/09/2023	86/158	51
6	Smt. Jai Dei	26/9	571	07/2023	11/07/2023	25/156	57
7	Jagat Ram	27/10	500	04/2023	11/04/2023	33/147	50
8	Rajinder Singh	28/11	500	04/2023	11/04/2023	35/147	50
9	Kuldeep Singh	39/22	1003	07/2023	12/07/2023	29/156	100
			1003	09/2023	11/09/2023	83/158	100
							Total amount Rs. 986/-

96

परिशिष्ट - 18

पैरा संख्या 29(3) में सन्दर्भित

अं.अधि./ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 29 दिनांक : 15 /05/2024 के क्रम में जारी

Table showing the admissibility of pension allowance to the following pensioners/Family Pensioners of N.P. Arki

Sr. No.	Name of the Pensioner/Family Pensioner	Basic Pension	Date of Birth	Date of admissibility of Pension allowance	Rate of Pension Allowance	Amount of Pension allowance admissible
1	Smt. Nirmala Devi, Pensioner	4773	17/04/1958	1/04/2023	5% of basic pension	239
2	Sh. Kanshi Ram, Pensioner	4555	17/03/1952	1/03/2022	10% of basic Pension	456
3	Smt. Ranjana Devi, Pensioner	6450	10/04/1958	1/04/2023	5% of basic pension	424

परिशिष्ट - 19
पैरा संख्या: 26 में सन्दर्भित

अं.अधि./ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 35 दिनांक : /05/2024 के क्रम में जारी

Excess payment of Travelling allowance Charges in favour of Sh. Ajay Garg, Secretary, Nagar Panchayat Arki

Date	Detail of Journey		No. KM	Mode of Journey	Fare Paid	Fare admissible by ordinary bus	Excess payment	Daily Paid	Daily admissible	Excess payment of DA	Total excess payment
	From	To									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.11.22	Arki	Solan	56	Own car	448	110	338	-	-	-	338
29.11.22	Solan	Arki	56	Own car	448	110	338	-	-	-	338
29.11.22	Arki	Solan	56	Own car	448	110	338	160	Two daily claimed for journey of 29.11.22	160	498
1.12.22	Solan	Arki	56	Own car	448	110	338	-	-	-	338
27.02.23	Arki	Solan	56	Own car	448	110	338	-	-	-	338
29.02.23	Solan	Arki	56	Own car	448	110	338	-	-	-	338
3.01.23	Arki	Shimla	56	Own car	448	90	358	-	-	-	358
4.01.23	Shimla	Arki	56	Own car	448	90	358	-	-	-	358
16.10.22	Arki	Tallend Shimla	50	Own car	400	90	310	160	70% of 160 112	48	358
18.10.22	Tallend	Arki	50	Own car	400	90	310	-	-	-	310

98

परिशिष्ट-19
पैरा संख्या 26 में सन्दर्भित

	Shimla										
18.03.23	Arki	Solan	56	Own car	448	110	338	-	-	-	338
20.03.23	Solan	Arki	56	Own car	448	110	338	-	-	-	338
11.01.23	Arki	Tallend Shimla	50	Own car	400	90	310	160	70% of 160 112	48	358
13.01.23	Tallend Shimla	Arki	50	Own car	400	90	310	-	-	-	310
							4660			256	4916

परिशिष्ट -20
पैरा संख्या : 26 में सन्दर्भित

अं.अधि./ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 35 दिनांक :17/05/2024 के क्रम में जारी

Excess payment of Travelling allowance Charges in favour of Sh. Ram karan,Jr. Asstt., Nagar Panchayat Arki

Date	Detail of Journey		No. KM	Mode of Journey	Fare Paid	Fare admissible by ordinary bus	Excess payment	Daily Paid	Daily admissible	Excess payment of DA	Total excess payment
	From	To									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.03.23	Arki	Shimla & back to Arki	100	Own Car	800	180	620	-	-	-	620
29.03.23	Arki	Solan & Back	100	Own car	800	220	580	-	-	-	580
31.03.23	Arki	Solan & Back	100	Own car	800	220	580	-	-	-	580
							1780				1780

100

-96-

परिशिष्ट-21
पैरा 27 से सम्बन्धित

अं.अधि./ज्ञापन संख्या : सहा. नियंत्रक/शिमला/2024-25/- 36 दिनांक :17/05/2024 के क्रम में जारी

Detail of journey/halt and orders to attend the meeting and other official work by in r/o Sh. Ajay Garg, Secretary, NP

Sr. No.	Office order or reference of tour	Date & time of onward journey from H.Q.	Halt	Date & time of backward journey to H.Q.
1	Email received on dated 26.11.2022 from DC office Solan regarding District Level Special task Force meeting at 11:00 AM on 29.11.2022.	28.11.2022 Started journey at 11:00AM & reached DC Office Solan at 2:30 PM	Halt at Solan on 28.11.2022	29.11.22 Started journey at 8:00AM & reached Arki at 10:30 AM
2	Letter No. DDMA/Meeting/2020-497-518 dated 28.11.2022 regarding DDMA preparedness meeting in DC office Solan at 12:30P.M. on 30.11.2022	29.11.2022 Started journey at 2:00 PM & reached Solan at 5:30 PM	Halt at Solan on 29 & 30.11.2022	1.12.2022 Started journey at 11:AM & reached Arki at 2:00PM
3	Letter No. PCB/AEE/RO Pwn /O.A.360/2018(DEP)/2018 dated Nil regarding district level meeting in DC Office Solan at 11:00AM on 28.11.2023	27.02.23 Started journey at 11:00AM & reached Solan at 2:30 PM	Halt on 27 & 28.02.2023 at Solan	29.02.2023 Started journey at 11:AM & reached Arki at 2:30PM
4	To attend the High Court hearing in the matter of CWP No.9004/2022 titled as Surinder Kumar Sharma Vs State of H.P.& others on 4.01.2023	3.01.2023 Started journey at 7:AM from Arki and reached Shimla at 9:30 AM	Halt shown at Solan on 3.01.2023, but backward journey stated from Shimla on 4.01.2023	4.01.2022 Started journey at 10:AM from Shimla & reached Arki at 12:30 PM
5	Letter No. UD-H(B)(1)-2/2022-Loose-40174-203 dated 7/10/2022 regarding review	16.10.2022	Halt on 16 & 17.10.2022 at Shimla	18.10.2022

101

-97-

परिशिष्ट-21
पैरा 27 से सम्बन्धित

	meeting at 11:AM on 17.10.2022 in the Directorate of UD Tallend Shimla	Started journey at 2:00 PM & reached Tallend/Shimla at 4:30 PM		Started journey at 10:AM from Shimla & reached Arki at 12:30 PM
6	DC Office Solan में जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में भाग लेने हेतु, as per tour programme of MP Shimla, Sh. Suresh Kashyap, the meeting was at 11:AM on 19.03.2023	18.10.2023 Started journey at 11:00AM from Arki & reached Solan at 2:30PM	Halt on 18 & 19.03.2023 at Solan	20.10.2023 Started journey at 11:AM & reached Arki at 2:30PM
7	Letter No. UD-H(B)(1)-2/2022-Loose-48299-48354 dated 9/01/2023 regarding review meeting at 11:AM on 12.01.2023 in the Directorate of UD Tallend Shimla	11.01.2023 Started journey at 12:00 PM & reached Tallend/Shimla at 2:30 PM	Halt on 11 & 12.01.2023 at Shimla	13.01.2023 Started journey at 10:AM from Shimla & reached Arki at 12:30 PM

Note: 1. Bill No. & Voucher No. has not been mentioned on the bills.

2. All the journeys shown above has been performed by own car.

102

परिशिष्ट-22

पैरा-27 में सन्दर्भित

H P T R 7

1 Establishment Nagar Panchayat Arki District Solan Month -November 2022 29-11-2022

2 Name & Designation Ajay Garg, Secretary

3 Basic Pay Head Qrs Arki District Solan (HP)

4 Purpose of Journey Regarding Meeting of District Level Special Task Force to be held on dated 29 11 2022 at Solan

DEPARTURE		ARRIVAL		Km/ Mode of Travel	Rate class of travel	Actual Fare Paid	Hotel Charges (if any)	Daily Allowance			Total of Line
Station	Date & Hou	Station	Date & Hour					No of Days	Rate Admissible	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arki	28 11 2022 01 00 AM	DC Office Solan	28 11 2022 02 30 PM	56 Km By Own Veh	8 00	448 00		01	160	160	608 00
Night Halt at Solan On 28 11 2022								01	160 per day	160	160 00
Solan	29 11 2022 0 8 00 AM	Arki	29 11 2022 at 10 30 AM	56 Km By Own Veh	8 00	448 00					448 00
	112					[illegible]				320	1216 00

103

-99-

CS CamScanner

(Detail of the claim)

5	Total column No 12 (B F)	1216 00
6	Terminal Transportation Charges	—
7	Local Transportation Allowance	—
8	Transfer Grant	
9	Personal Effects Wt __________ Rate ________ Amount	—
10	Conveyance Charges	—
11	Miscellaneous (specify)	—
12	GROSS AMOUNT	1216 00
13	Less Advance of TA/TTA drawn vide I/V No. ______ Dt ______	—
14	NET AMOUNT PAYABLE	1216 00

(Signature of Claimant)

Passed for Rs 1216/- (One Thousand Two Hundred & sixteen only.)

(Signature of Controlling Officer) (Signature of D D O)

TO BE USED IN AUDIT OFFICE)

Admitted for ____________________

Objected to ____________________

Reason for Objection ____________________________________

(Accounts Officer)

INSTRUCTIONS

15 Tour Dairy should invariably be attached with the claim
16 In case of transfer claim the detail of members of the family with age alongwith detail of personal effects be given
17 The Receipt Nos of Hotel and carriage charges bills be quoted against the relevant column
18 Ticket Nos should be quoted when journeys are performed in a class higher than the ordinary class

CS CamScanner

HPTR 7

1 Establishment: Nagar Panchayat Arki District Solan Month -November,2022 30-11-2022

2 Name & Designation Ajay Garg Secretary

3 Basic Pay Head Qrs Arki District Solan (HP)

4 Purpose of Journey Meeting Regarding DDMA winter Preparedness held on dated 30 11 2022 at DC Office Solan

DEPARTURE		ARRIVAL		Km/ Mode of Travel	Rate / class of travel	Actual Fare Paid	Hotel Charges (if any)	Daily Allowance			Total of Line
Station	Date & Hour	Station	Date & Hour					No of Days	Rate Admissible	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arki	29 11 2022 02 00 PM	Solan	29.11 2022 05 30 PM	56 Km By Own Veh	8 00	448.00					448 00
	Night Halt at Solan On 29 11 2022 & 30-11-2022							02	160 per day	320	320
Solan	01 12 2022 at 11 30 AM	Arki	01 12 2022 at 2 00 PM	56 Km By Own Veh	8 00	448 00		01	160	160	608 00
						896				480	1376 00

-101-

CamScanner

(Detail of the claim)

5	Total column No 12 (B F)	1376 00
6	Terminal Transportation Charges	–
7	Local Transportation Allowance	...
8	Transfer Grant	
9	Personal Effects Wt ________ Rate ________ Amount	——
10	Conveyance Charges	______
11	Miscellaneous (specify)	______
12	GROSS AMOUNT	1376 00
13	Less Advance of TA TTA drawn vide BV No ______ Dt ______	______
14	NET AMOUNT PAYABLE	1376 00

(Signature of Claimant)

Passed for Rs 1376/- (One Thousand Three Hundred & Seventy Six only)

(Signature of Controlling Officer) (Signature of D D/O)

TO BE USED IN AUDIT OFFICE)

Admitted for ____________

Objected to ____________

Reason for Objection ____________

(Accounts Officer)

INSTRUCTIONS

15 The Claim should invariably be attached with the claim

16 In case of transfer claim the detail of members of the family with age alongwith detail of personal effects be given

17 The Receipt Nos of hotel and carriage charges bills be quoted against the relevant column

18 Ticket Nos should be quoted when journeys are performed in a class higher than the ordinary

-102-

CamScanner

Regarding meeting of District Level Special Task Force to be held on dated 29.11.2
11:00 Am

Respected All

The meeting of the District Level Special Task Force in O.A. 138 of 2016, OA No 673/2018, OA No compliance of Solid Waste Management Rules, 2016, O.A. No.360 of 2018 Distt. Environment Plan w.r.t. compliance of Bio-Medical Waste Management Rules 2016, O.A. 603 of 2018 compliance of Management, O.A. 512 of 2018 compliance of E-waste Management and O.A. No. 651 of 2018 sc

on 29.11.2022 at 11:00AM in the Meeting Hall of Deputy Commissioner Office S Chairmanship of DC Solan. You all are requested to attend the meeting at aforesaid date and time of DC Office Solan. P.F.A. of Agenda for the Meeting.

106

CamScanner

File No: DDMA/ Meeting/2020- 497 -518

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER-CUM-CHAIRMAN, DISTRICT DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY, SOLAN

Dated: 28-11-2022

To

1. The Chairman, Zila Parishad, Solan
2. The Superintendent of Police, Solan and Baddi
3. The Superintendent of Engineer, Jal Shakti Vibhag, District Solan
4. The Superintendent of Engineer, HPPWD 3rd Circle, District Solan
5. The Superintendent of Engineer, HPSEBL Op. Circle, Solan
6. All the Sub Divisional Magistrates (Solan, Arki, Kandaghat, Kasauli and Nalagarh)
7. The Chief Medical Officer, Solan
8. The Commandant, Home Guards, Solan
9. The Commissioner MC Solan, EO MC Parwanoo, Baddi, Nalagarh and Arki
10. The District Food & Civil Supplies Controller, Solan
11. The Station Fire Officer, Solan
12. The District General Manager, BSNL, Solan
13. The Regional Manager, HRTC, Solan
14. The Convener, DIAG Solan

Sub: Regarding DDMA Winter Preparedness Meeting

Sir,

This is in reference to DDMA review meeting for winter preparedness to be held in Meeting Hall, D.C Office Solan at 12.30 p.m on 30/11/2022. In view of the same, you are requested to ensure personal attendance according to the aforementioned schedule. You are further requested to consolidate all data pertaining to your department/ jurisdiction as per the agenda attached.

Yours faithfully

(Kritika Kulhari) IAS
Deputy Commissioner-cum-Chairperson
DDMA, District Solan (H.P)
Email: - ddmasolan@gmail.com

107

Endst as above:-497 -518 Dated 28-11-2022

1. The DPRO, Solan for personal attendance and wide coverage of the meeting
2. The In Charge, Establishment Branch for providing 02 peons for the meeting

-104-

CamScanner

<u>Tour Programme of Ajay Garg, Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (H.P.)</u>

To attend the meeting in the matter of Regarding Meeting of District Level Special Task Force to be held on dated 29.11.2022. at Solan.

Sr. No	Departure	Arrival	Date& Time Departure & Arrival	Purpose of Journey
1	[illegible]	Solan	28-11-2022 11.00 AM 28.11.2022 [illegible] PM	Regarding Meeting of District Level Special Task Force to be held on dated 29.11.2022. at Solan.
2	Solan	Arki	29.11.2022 at 03.00 AM 29.11.2022 at 10.30 AM	

Approved
[signature]
President
Nagar Panchyat, Arki
Distt. Solan (H.P.)

[signature]
Ajay Garg
Secretary
Nagar Panchayat Rajgarh
Distt. Sirmour (H.P.)

https://mail.google.com/mail/u/0/?[illegible]GdVqtzzKDq

CS CamScanner

Tour Programme of Ajay Garg, Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (H.P.)

To attend the meeting in the matter of Regarding Meeting of To Attend the High Court Shimla hearing in the matter of CWP No. 9004/2022-titled as Surender Kumar Sharma V/S State of H.P. &Ors. on 04.01.2023.

Sr. No.	Departure	Arrival	Date& Time Departure & Arrival	Purpose of Journey
1	Arki	Solan	28-11-2022 11.00 AM 28.11.2022 02.30 PM	To Attend the High Court Shimla hearing in the matter of CWP No. 9004/2022-titled as Surender Kumar Sharma V/S State of H.P. &Ors. on 04.01.2023.
2	Solan	Arki	29.11.2022 at 08.00 AM 29.11.2022 at 10.30 AM	

Approved.

President
Nagar Panchyat, Arki
Distt. Solan (H.P.)

Ajay Garg
Secretary
Nagar Panchayat Rajgarh
Distt. Sirmour (H.P.)

-106-

CS CamScanner

<u>Tour Programme of Ajay Garg, Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (H.P.)</u>

To attend the meeting in the matter of ". Meeting Regarding DDMA winter Preparedness held on dated 30.11.2022. at DC. Office Solan.

Sr. No.	Departure	Arrival	Date& Time Departure & Arrival	Purpose of Journey
1	Arki	Solan	29-11-2022 02.00 PM 29.11.2022 05.30 PM	Meeting Regarding DDMA winter Preparedness held on dated 30.11.2022. at DC. Office Solan.
2	Solan	Arki	01.12.2022 at 11.00 AM 01.12.2022 at 2.00 PM	

Approved

President
Nagar Panchyat, Arki
Distt. Solan (H.P.)

Ajay Garg
Secretary
Nagar Panchayat Rajgarh
Distt. Sirmour (H.P.)

-107-

CS CamScanner

H.P.T.R 7

Establishment: Nagar Panchayat Arki District Solan Month -February 2023   28-02-2023

2 Name & Designation: Ajay Garg. Secretary

3 Basic Pay Head Qrs   Arki District Solan (HP)

4 Purpose of Journey District Level Meeting at DC Office Solan, on 28-02-2023 in the Matter of –
OA NO 138 of 2016 (TNHRC) & OA No 139 of 2016 (TNHRC)
OA No 673/2018 'RRC'
OA No 606 of 2018 compliance of solid waste management Rules,2016
District development plan in the matter of OA No 360 of 2018
O.A. No 681/2017 'NCAP'
OA No 512/2018, E-waste Management
O.A. No 603/219 C&D Waste Management

DEPARTURE		ARRIVAL		Km/ Mode of Travel	Rate / class of travel	Actual Fare Paid	Hotel Charges (if any)	Daily Allowance			Total of Line
Station	Date & Hour	Station	Date & Hour					No of Days	Rate Admissible	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arki	27 02 202 3 11 AM	Solan	27 02 202 32 30 PM	56 Km By Own Veh	8 00	448 00					448 00
		Night Halt at Solan On 27 02 2023 & 28-02-2023						02	160 per day	320	320
Solan	29 02 202 3 11 00 AM	Arki	29 02 202 3 at 2 30 PM	56 Km By Own Veh	8 00	448 00		01	160	160	608 00
	[illegible]					896				480	1376 00

-108-

CS CamScanner

Tour Pro[illegible]
To attend th[illegible]
at DC Offi[illegible]

(Detail of the claim)

5	Total column No 12 (B F)	1376 00
6	Terminal Transportation Charges	--
7	Local Transportation Allowance	–
8	Transfer Grant	---
9	Personal Effects Wt ____________ Rate _________ Amount	____
10	Conveyance Charges	______
11	Miscellaneous (specify)	______
12	GROSS AMOUNT	1376 00
13	Less Advance of TA/TTA drawn vide V/V No _______ Dt _______	______
14	NET AMOUNT PAYABLE	1376 00

(Signature of Claimant)

Passed for Rs 1376/- (One Thousand Three Hundred & Seventy Six only)

(Signature of Controlling Officer) (Signature of D D O)

TO BE USED IN AUDIT OFFICE)

Admitted for ______________________

Objected to ______________________

Reason for Objection ______________________________________

(Accounts Officer)

INSTRUCTIONS

14. The O.M. should invariably be attached with the claim
15. In case of transfer claim the detail of members of the family with age alongwith detail of personal effects be given
17. The Receipt Nos of Hotel and carriage charges bills be quoted against the relevant column
18. Ticket Nos should be quoted, when journeys are performed in a class higher than the ordinary class

-109-

CS CamScanner

Tour Programme of Ajay Garg, Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (H.P.)

To attend the meeting in the matter of Regarding Meeting of District Level Meeting at DC Office Solan, on 28-02-2023 in the Matter of –

OA NO. 138 of 2016 (TNHRC) & OA. No. 139 of 2016 (TNHRC)
OA No.673/2018."RRC"
OA No.606 of 2018 compliance of solid waste management Rules,2016.
District development plan in the matter of OA No.360 of 2018.
O.A. No. 681/2017 "NCAP".
OA No. 512/2018, E-waste Management.
O.A. No. 603/219, C&D Waste Management.

Sr No.	Departure	Arrival	Date& Time Departure & Arrival	Purpose of Journey
1	Arki	Solan	27-02-2023 11:00 AM 27-02-2023 02:30 PM	District Level Meeting at DC. Office Solan, on 28-02-2023 in the Matter of – OA NO. 138 of 2016 (TNHRC) & OA. No. 139 of 2016 (TNHRC) OA No.673/2018."RRC" OA No.606 of 2018 compliance of solid waste management Rules 2016 District development plan in the matter of OA No.360 of 2018. O.A No. 681/2017 "NCAP" OA No. 512/2018, E-waste Management O.A. No 603/219 C&D Waste Management
2	Solan	Arki	29.02.2023 11:00 AM 29.02.2023 02.30 PM	

Approved
(signature)
President
Nagar Panchayat, Arki
Distt. Solan (H.P.)

(signature)
Ajay Garg
Secretary
Nagar Panchayat Rajgarh
Distt. Sirmour (H.P.)

CS CamScanner

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

SCF- 6, 7, 8, Sec-4, Parwanoo Distt. Solan (H.P.) 173220
Telefax- 01792-2 [illegible], Website [illegible]

NO.PCB/AEE /RO Pwn/ O.A. 360/2018 (DEP)/2018-   Dated

To,

1	The CEO, BBNDA Solan HP
2	The Superintendent of Police, Solan [illegible]
3	The Member Secretary, Distt. Legal Services Authority, Solan [illegible] Task Force
4	The Block Development Officer Solan/Dharampur/Kandaghat/ Kunnihar
5	The Chief Medical Officer, Solan
6	The Executive Engineer, JSV Solan, Arki, Kunnihar
7	The Deputy Director [illegible] Husbandry, Solan
8	The District Ayurvedic Officer, Solan
9	The Executive Engineer, HIMUDA Parwanoo
10	The DFO, Solan
11	The Executive Officer MC Parwanoo & Solan.
12	The Project Officer DRDA, Solan
13	The RM HRTC Solan /Parwanoo
14	[illegible]
15	The General Manager, DIC Chambaghat Solan
16	The Plant Head, HPMC Fruit Processing Plant, Parwanoo
17	The District Food & Civil Supply Controller, Solan
18	The Member Secretary, SWCA, Parwanoo, Distt. Solan
19	The Divisional Town & Country Planner, Solan, Distt. Solan
20	The Chairman/ Secretary Cantonment Board Kasauli, Subathu, Dagshai
21	The Secretary, NAC Arki Kandaghat
22	Plant Manager, JBR Technologies Ltd. Baddi

Sub: District Level Meetings in the matter of -

1. O.A No. 138 of 2016 (Tenga) & O.A. No 139 of 2016 (Tenga)
2. O.A No 673/2018 "RRC"
3. O.A [illegible] of 2018 compliance of Solid Waste Management Rules, 2016
4. O.A No. 710/2017 compliance of Biomedical Waste Management — G-4-1
5. District Environment Plan in the Matter of O.A. No 360 of 2018
6. O.A. no 681/2017 "NCAP"
7. O.A. No. 512/2018, E-waste Management
8. O.A. No. 603/2019, C&D Waste Management.

Sir/Madam,

This is in reference to the above mentioned subject. In this regard the Deputy Commissioner cum Chairperson of the DLSTF has desired that the Meeting of the District Level Special Task Force in OA No. 138 of 2016 (Tenga) & O.A. No 139 of 2016 (Tenga), OA No 673/2018, OA No. [illegible] of 2018 compliance of Solid Waste Management Rules, 2016, OA no 681/2017, O.A. No 360 of 2018, OA No [illegible] Medical Waste Management Rules, 2016, O.A. No. 512/2018, E-waste Management and O.A. No. 603/2019, C&D Waste Management be held in the office chamber on **28th February, 2023 at 11:00 hrs.** In this connection you are requested [illegible]

H P T R 7

1. Establishment: Nagar Panchayat Arki District Solan Month -March 2023 04-01-2023

2. Name & Designation A.ay Garg Secretary

3. Basic Pay Head Qrs Arki District Solan (HP)

4. Purpose of Journey To Attend the High Court Shimla hearing in the matter of CWP No 9004/2022 titled as Surender Kumar Sharma V/S State of H P &Ors on 04 01 2023

DEPARTURE		ARRIVAL		Km/ Mode of Travel	Rate / class of travel	Actual Fare Paid	Hotel Charges (if any)	Daily Allowance			Total of Line
Station	Date & Hour	Station	Date & Hour					No of Days	Rate Admissible	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arki	03 01 2023 07 00 AM	Shimla	03 01 2023 9 30 AM	56 Km By Own Veh	8 00	446 00					446 00
Night Halt at Solan On 03 01 2023								01	160 per day	160	160
Shimla	04 01 2023 [illegible]	Arki	20 03 2023 at 12 30 [illegible]	56 Km By Own Veh	8 00	446 00					446 00
	[illegible]					[illegible]				480	1056 00

114

_ 112

Tour ...
To ...

(Detail of the claim)

5	Total column No 12 (B F)	1056 00
6	Terminal Transportation Charges	--
7	Local Transportation Allowance	--
8	Transfer Grant	---
9	Personal Effects Wt ______ Rate ______ Amount	____
10	Conveyance Charges	____
11	Miscellaneous (specify)	____
12	GROSS AMOUNT	1056 00
13	Less Advance of TA/TTA drawn vide V No ______ Dt ______	____
14	NET AMOUNT PAYABLE	1056 00

(Signature of Claimant)

Passed for Rs 1056/- (One Thousand & fifty Six only)

(Signature of Controlling Officer)

(Signature of D D O)
Secretory
Nagar Panchayat, Arki

TO BE USED IN AUDIT OFFICE)

Admitted to ______________

Objected to ______________

Reason for Objection ______________________

(Accounts Officer)

INSTRUCTIONS

15 Tour Copy should invariably be attached with the claim
16 In case of transfer claim the detail of members of the family with age alongwith detail of personal effects be given
17 The Receipt Nos of Hotel and carriage charges bills be quoted against the relevant column
18 Ticket Nos should be quoted when journeys are performed in a class higher than the ordinary ...

-113-

FAX/EMAIL
TIME BOUND
URGENT

No. CWP- 9004/2022 420
Department of the Advocate General,
State of Himachal Pradesh, Shimla

Dated: Shimla, the 31.12.2022 3/1/23

To

1. The Principal Secretary (Urban Development) to the Government of H.P., Shimla.
2. The Deputy Commissioner, District Solan, H.P.
3. The Sub Divisional Officer (C), Arki, District Solan, H.P.
4. The Secretary Nagar Panchayat, Arki, District Solan, H.P.

Subject: CWP No. 9004/2022- titled as Surender Kumar Sharma V/s State of H.P. & Ors.

Sir,

It is intimated that the matter is listed before the Hon'ble High Court of H.P. on 30.12.2022 and after hearing the matter for some time the Hon'ble Court observed that the matter is pertain to the Oath Ceremony of Vice- President, in Nagar Panchayat, Arki and the petitioner was elected as Vice-President and the Deputy Commissioner has already issued a letter order dated 18.11.2022, whereby the Sub Divisional Officer (C) Arki is authorise to subscribe the Oath or Affirmation of allegiance to the Constitution of India to the newly elected Vice-President of Nagar Panchayt, Arki as per Section 27 of Act ibid, but time and again the Sub Divisional officer Civil (SC) Arki is not acted upon the letter dated 18.11.2022.

The Hon'ble Court further directed the respondent/ State to take instructions from quarter concerned why the Oath has not been subscribe to the Vice President of the Nagar Panchayat Arki? Copy of petition is enclosed herewith.

You are, therefore, requested to comply with the order/ directions of the Hon'ble Court and impart the instructions to the undersigned well before the next date of hearing i.e., 04.01.2023 positively, failing which the official will be personally responsible for any adverse order passed by the Hon'ble Court.

Yours faithfully,

(VIKRANT CHANDEL)
Deputy Advocate General
State of Himachal Pradesh
Mobile No. 98579027[illegible]

Encls:- as above

CamScanner

HPTR 7

Establishment: Nagar Panchayat Arki District Solan Month -October 2022 17-10-2022

2 Name & Designation Ajay Garg, Secretary

3 Basic Pay Head Qrs Arki District Solan (HP)

4 Purpose of Journey To attend the Review Meeting with Urban Local Bodies at Shimla on 17-10-2022

DEPARTURE		ARRIVAL		Km/ Mode of Travel	Rate / class of travel	Actual Fare Paid	Hotel Charges (if any)	Daily Allowance			Total of Line
Station	Date & Hour	Station	Date & Hour					No of Days	Rate Admissible	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arki	16.10.2022 22 00PM	Talland Shimla	16 10 2022 24 30 PM	50 Km By Own Veh	8.00	400.00					400 00
Night Halt at Shimla On 16 10 2022 and 17-10-2022								2	160 per day	320	320 00
Shimla	18.10.2022 10 00AM	Arki	18.10.2022 at 12.30 PM	50 Km By Own Veh	8 00	400 00		01	160	160	560 00
Total						800				320	1280 00

116

-115-

CS CamScanner

Tour Bill ... to atten ... meetin ...

(Detail of the claim)

5	Total claim No. 1 (B)	1260 00
6	...	--
7	Local Transportation Allowance	-
8	Transfer Grant	---
9	Personal Effects	
	Wt. ____ Rate ____ Amount	____
10	C... Charges	____
11	Miscellaneous (specify)	____
12	GROSS AMOUNT	1280 00
13	Less Advance of TA/TTA drawn vide I/V No ____ Dt ____	____
14	NET AMOUNT PAYABLE	1280 00

(Signature of Claimant)

Passed for 1280/- (One Thousand Two Hundred & Eighty only)

(Signature of Controlling Officer)

(Signature of D D O)
Nagar Panchayat ...

(TO BE USED IN AUDIT OFFICE)

Admitted ____

Objected ____

Reason for Objection ____

(Accounts Officer)

INSTRUCTIONS

15. Tour Bill should invariably be attached with the claim
16. In case of transfer claim the detail of members of the family with age along with detail of personal ... be given
17. ... No. of Hotel and carriage charges bills be quoted against the relevant column
18. ... No. should be quoted when journeys are performed in a class higher than the ordinary ...

-116-

CS CamScanner

Tour Programme of Ajay Garg, Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (H.P.)

To attend the meeting in the matter of Regarding Meeting of To attend the Review Meeting with Urban Local Bodies at Shimla on 17-10-2022.

S. No.	Departure	Arrival	Date& Time Departure & Arrival	Purpose of Journey
1	Arki	Solan	16-10-2022 02.00 PM 16.10.2022 04.30 PM	To attend the Review Meeting with Urban Local Bodies at Shimla on 17-10-2022.
2	Solan	Arki	16.10.2022 10.00 AM 18.10.2022 12.30 PM	

Approved.

President
Nagar Panchyat, Arki
Distt. Solan (H.P.)

Ajay Garg
Secretary
Nagar Panchayat Rajgarh
Distt. Sirmour (H.P.)

-117-

117

CS CamScanner

REVIEW MEETING NOTICE

No. UD-H(B)(I)-2/2022-loose-[illegible]
Directorate of Urban Development
Himachal Pradesh

Dated: Shimla-2 the, [illegible] October, 2022.

From

Director,
Urban Development,
Himachal Pradesh

To

Executive Officer/Secretaries,
Municipal Councils/Nagar Panchayats,
Districts- Shimla, Solan, Sirmour, Bilaspur & Mandi.

Subject:- Review Meeting with Urban Local Bodies.

Sir/Madam,

On the subject cited above, it is informed that a Review Meeting regarding implementation of various schemes, projects & development works etc being implemented in the Urban Local Bodies has been scheduled on 17.10.2022 at 11.00 AM under the Chairmanship of undersigned in the Directorate of Urban Development, Palika Bhawan, Talland, Shimla-171002 with the Executive Officers/Secretaries of Urban Local Bodies of Shimla, Solan, Sirmour, Bilaspur & Mandi District in H.P

You are, therefore requested to prepare a PPT of 4-5 slides on an. best practice of your municipality, as per the directions issued in the previous meetings and attend the aforesaid Review Meeting personally on scheduled date, time & venue without fail alongwith relevant information on all the agenda items which will be shared with you shortly

Encl. : As above.

Yours faithfully,

(Manmohan Sharma)IAS
Director,
Urban Development,
Himachal Pradesh

Endst. No. As above dated:

Copy forwarded to :-

Principal Secretary (UD) to the Govt. of H.P. Shimla-2 for information, please.

Director,
Urban Development
Himachal Pradesh

CamScanner